न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **146/13 (वाद)**

GCMS No. : 2013/00149

1. श्री मूर्ति ठाकुर जी चारभुजा जी गांव आसोलिया की मादडी जरिये समस्त ग्रामवासियान आसोलिया की मादडी प्रतिनिधि :–

1/1 श्री सुरजसिंह पिता कालु सिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/2 श्री पनसिंह पिता ऐमानसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/3 श्री नाहरसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/4 श्री रूपसिंह पिता इन्दरसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/5 श्री करणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/6 श्री मनोहरसिंह पिता जालमसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/7 श्री मनोहरसिंह पिता भीमसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/8 श्री किशनसिंह पिता उम्मेदसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/9 श्री नाथूसिंह पिता हडमतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री लालदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
2. श्री बालुदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
3. श्री भंवरदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
4. श्री शंकरदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
5. मुसमात हगामी (मृतक के बजाय) :–

5/1 श्रीमती गंगाबाई पुत्री नाथूदास पत्नी भंवरदास वैरागी निवासी बोयणा तहसील मावली।

5/2 श्रीमती कमलाबाई पुत्री नाथूदास पत्नी सुखदास वैरागी निवासी बीडघास तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

6. श्री भेरूदास (मृतक के बजाय) :–

6/1 श्री सीताराम पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

6/2 श्री लच्छीराम पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

6/3 श्री मदनदास पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7. श्री सेवादास (मृतक के बजाय) :–

7/1 श्रीमती सायरबाई पत्नी सेवादास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7/2 श्री सोहनदास (मृतक के बजाय) :–

7/2/1 श्रीमती राधाबाई पत्नी सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7/2/2 श्रीमती मीनाबाई पुत्री सोहनदास पत्नी प्रेमदास वैरागी निवासी वाजमिया तहसील वल्लभनगर।

7/2/3 श्रीमती ज्योति पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7/2/4 सुश्री गायत्री पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7/2/5 सुश्री सपना पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

7/3 श्रीमती गीता पुत्री सेवादास पत्नी श्यामदास वैरागी निवासी भावा तहसील राजनगर जिला राजसमन्द।

8. श्रीमती भागुबाई पत्नी दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
9. श्री नारायणसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
10. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 8, 9।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 05.12.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलिया की मादडी तहसील मावली में आबादी में ठाकुर जी चारभुजा जी का मन्दिर तथा उनके अधीनस्थ अन्य देवस्थान इसी गांव में स्थित है जिसकी सेवा पूजा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जालम चन्द वैरागी करता था और उसके एवज में ठाकुर जी की डोली की जमीन जिसको तत्कालीन जागीरदार व ग्रामवासियों ने दी थी क्योंकि यह गांव पहले जागीर का था जिसका विवरण नीचे दर्ज हैं। कमाता खाता आया जालमचन्द के निसन्तान फौत होने के पश्चात् उसकी विधवा ने अपने भाई उंकार दास को धारता से लाई। उस अकेले से सेवा पूजा नहीं होती थी। वह अपने रिश्तेदार नाथूदास को गांव गोटीपा से लाया। दोनों मिलकर सेवा पूजा करते थे, भोग चढाते थे और एवज में निम्नांकित भूमियां बिना हासल भोग दिये कमाते खाते आये थे ईन भूमियों की खडम ग्राम निवासियों की थी और भोग जागीरदार देह का था। दोनो ने मिलकर यह भूमियां ठाकुरजी को डोलियों के रूप में भेंट की थी जिसकी सबूत में असल पट्टा विक्रम सम्वत् 1961 श्रावण विद में कर दिया गया। भूमियां डोली के रूप में खडम भोग भेंट हुई। जिसका शिलालेख भी मौके पर लगा हुआ है जिससे ये भूमियां ठाकुर जी श्री चारभुजा जी स्थान देह के स्वामित्व व आधिपत्य की है जो भी सेवा पूजा भोग आदि का कार्य सभी देव स्थानों पर गांव में करे वो ईन को खावे। आराजीयात की तहसील :–

(क) आराजी खसरा नम्बर 414 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 461 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा , 462 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा

(ख) आराजी नम्बर 822 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 830 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 831 रकबा 5 बीघा

(ग) आराजी नम्बर 817 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 823 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 825 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 829 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 882 रकबा 11 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

(घ) आराजी नम्बर 821 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 824 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 828 रकबा 2 बीघा, किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा

यह कि मौजा आसोलियों की मादडी तहसील मावली में पैमाईश दो बार हुई। प्रथम पैमाईश में तथा इसी तरह दूसरी पैमाईश में भी हम ईन डोलियों की जमीन को ठाकुरजी की मानते रहे। इसलिए पैमाईश के रेकार्ड को नहीं देखा और ये भूमियां छिपे तौर उक्त आईटम नम्बर 1–2 में अंकित भूमियां प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 7 के नाम शामिल में तथा आईटम नम्बर 3 में दर्ज भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के नाम तथा आईटम नम्बर 4 में दर्ज भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 6, 7 ने अपनी खातेदारी की दर्ज करा ली। जो वादी के मुकाबले में नल एण्ड वोईड (प्रभाव शून्य) है। भूमियां वादी की खातेदारी की है और ईन भूमियो का खातेदार श्री ठाकुरजी श्री चारभुजा जी स्थान देह हैं। अतः वादी ईन भूमियों को अपनी खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी हैं।

2. यह कि उक्त भूमियों पर कब्जा शुरू से ग्राम निवासियों का चला आ रहा है, अर्थात् वादीगण का चला आ रहा है। नाथूदास वापस राणा कुई चला गया। वहां जमीन खरीद ली। 25 वर्ष से नहीं रह रहा हैं। उसके लडके व उसकी विधवा पत्नी भी राणा कुई चले गये थे जिसे 25 वर्ष से अधिक समय हो गया हैं। उसके जाने के पश्चात् ग्राम निवासियों ने यह जमीन भेरूदास सेवादास को सौंपी क्योंकि वो ही सेवा पूजा ठाकुरजी की करते थे, भोग चढाते थे, कब्जा मौके पर भेरूदास, सेवादास की सेवा पूजा की एवज में है। अभी अभी मालूम हुआ है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 तक ने यह ठाकुरजी की भूमियां

(1) आराजी नम्बर 830 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 831 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 9, 10 के हक हिस्से में

(2) आराजी नम्बर 817 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 823 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 825 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 829 रकबा 3 बीघा किता 4 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा मय चाह नम्बर 826 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में नुमायशी बिना कोई बदल लिये विक्रय पत्र दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

22.11.96 ईस्वी को सम्पादित कर रजिस्ट्री करा दी जो हम वादीगण के मुकाबले में नल एण्ड वोईड (प्रभाव शून्य) है। इन दस्तावेजो में लिखित भूमियां न तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 तक की खातेदारी की थी, न उनका कोई कब्जा था, न ये भूमियां उनके द्वारा बेची जा सकती थी। इस प्रकार गलत नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित किये जाने से प्रतिवादीगण इन भूमियों को हांकने बोने मौके पर आवेंगे तथा गलत नुमाईशी विक्रय पत्रों के आधार पर ये भूमियां नामान्तरकरण के जरिये अपने नाम कराने की कोशिश करेंगे जिसे ऐसा करने से रोकने के लिये उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हैं।

3. यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नामान्तरकरण खुलवाने तथा कब्जा छिनने से नहीं रोका गया तो वादी को भारी क्षति होगी। ठाकुरजी सेवा पूजा से वंचित कर दिये जायेगे जिसका कोई एवजाना नकदी में नहीं आंका जा सकेगा। वादी को तत्काल खबर मिलते ही खातों व दस्तावेजो की नकले ले तथा ग्राम निवासियों व पंचायत से प्रस्ताव पास करा प्रतिवादीगण की इस प्रकार अनाधिकार कृत्यों से रोके गये तो वों नहीं माने और कहने लगे कि पटवारी हमारी तहसील में है। हम जो चाहेंगे करेंगे वास्तव में पटवारी प्रतिवादीगण के अधीन ही कहीं छिपा हुवा है प्रकट नहीं हो रहा है। हमें नकले भी तहसील से लेनी पडी हैं। अतः बिनाय दावा दिनांक 22.11.96 को पैदा हुई। अन्त में निवेदन किया कि वादी विरूद्व प्रतिवादीगण घोषित कराया जावे कि वाद में वर्णित फिकरा क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियां वादी (मूर्ति) ठाकुर जी श्री चारभुजा जी स्थान आसोलिया की मादडी तहसील मावली की खातेदारी की है और राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से खारिज करा वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे कि वो इन विवादित भूमियों के मौके पर कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, न करावे, न जमीन पर आवे जावे, न उक्त कथित नल एण्ड वोईड दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमियों का कोई नामान्तरकरण नहीं खुलवावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8 व 9 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ठाकुर जी चारभुजा जी का मन्दिर ग्राम आसोलिया की मादडी में विगत 35 वर्षों से होना स्वीकार है। सिर्फ सुकंडी अर्थात् दस किलो अनाज प्रतिघर से के आधार पर विपक्षीगणों/प्रतिवादीगणों द्वारा सेवा पूजा करना स्वीकार है। प्रतिवादीगणों को कोई भी डोली की भूमि देना स्वीकार नहीं हैं, प्रतिवादीगणों की खातेदारी भूमि बाबत् भूतपूर्व जागीरदार द्वारा डोली के रूप में पट्टा देना अस्वीकार हैं। मौके पर कोई शिलालेख लगा हुआ नहीं था। वादीगणों द्वारा एक कुटरचित फर्जी शिलालेख बनाया गया है जो सर्वथा गलत हैं। इतना ही नहीं उक्त कूटरचित शिलालेख में वादीगणों ने रंग (कलर) से कुछ कुटरचित शैली का लेखन किया है जो गलत हैं। वाद पत्र में वर्णित भूमि विपक्षी/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक की खातेदारी भूमि है जो उनकी मौरूसी जायदाद है एवं उनके पूर्वजों के समय से उक्त भूमि में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, इतना ही नहीं उक्त भूमि में प्रतिवादीगणों के पूर्वजो ने एक कुआ भी खोद रखा है जिससे उपरोक्त आराजीयात की सिंचाई होती हैं। उपरोक्त आराजीयात में से प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 ने अपने हिस्से की कुछ भूमि प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया गया। कब्जा सरसों की फसल लेने के बाद सिपूर्द किया गया। उपरोक्त आराजीयात विपक्षी/प्रतिवादीगणों की होना स्वीकार हैं।

5. यह कि दोनो पैमाईश में उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं उनके पूर्वजों के खाते एवं कब्जे में होना स्वीकार हैं। वादीगणों को प्रतिवादीगणों की खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि जो कि वादग्रस्त है उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगणों द्वारा विगत करीब 51 वर्षों से जानकारी है फिर भी वादीगणों द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छिपाया जा रहा है। प्रतिवादीगणों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि कभी भी चारभुजा जी के खाते नहीं रही, न ही कभी भी उपरोक्त आराजीयात वादीगणों के कब्जे काश्त की रही। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्तकारी अधिनियम के लागु होने से पूर्व से लेकर वर्तमान तक प्रतिवादीगणों का रहा है व वर्तमान में भी है व तब से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के खाते रही व वर्तमान में प्रतिवादीगणों के खाते दर्ज हैं। वादीगणो का उपरोक्त भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न ही मूर्ति चारभुजा जी का उपरोक्त भूमि से कभी कोई सम्बन्ध ही रहा हैं। प्रतिवादीगण एक से सात तक वर्तमान में इसी गांव में निवास कर रहे हैं।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर कब्जा सिपूर्द करना स्वीकार है क्योंकि ऐसा विक्रय करने के लिए प्रतिवादीगण 1 से 5 कानूनन अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अपने स्वामित्व, आधिपत्य की भूमि का हस्तान्तरण करने के लिए स्वतन्त्र है उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है और न ही कोई व्यावहारिक बाधा है इसलिए उपरोक्त हस्तान्तरण को नल एण्ड वोईड घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादीगणो ने वादीगणों के खाते की भूमि का विक्रय नहीं किया है बल्कि प्रतिवादीगणों के विधि सम्वत् हिस्से का विक्रय किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को अपनी खातेदारी भूमि को बेचने का पूर्ण अधिकार है एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को अपनी खरीदशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हिस्से में शेष बची भूमि को प्रतिवादीगणों को उपयोग उपभोग एवं काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। जिसमें वादीगणों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है न ही कानून इस बात की इजाजत वादीगणो को देता हैं। वादीगण इस घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की आड में प्रतिवादीगणों की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है व उक्त भूमि को हडपना चाहते है। इसलिए वादीगणों को ऐसा करने से कानूनन रोका जाना न्यायाहित में हैं न कि प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायाहित में है। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को अपनी क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने एवं उसका उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है जिसे वादीगणों को रोकने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादीगणों को उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि कोई वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है व वाद मयाद बाहर है। इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

7. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन** किया कि वादीगणों ने उक्त वाद महज प्रतिवादीगणों से रंजिश रखने के कारण प्रस्तुत किया है क्योंकि वाद मित्र गुमानसिंह पंचायत के चुनाव में सरपंच के लिए उम्मीदवार था, प्रतिवादीगण वादी गुमानसिंह के साथ चुनाव में नही रहकर अन्य प्रत्याशी के साथ चुनाव में थे इस वजह से उसने अन्य लोगों को गुमराह कर प्रतिवादीगणों के विरूद्व यह झूठा वाद प्रस्तुत किया है व तत्पश्चात् वादीगणों ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उक्त भूमि का विक्रय अपने पक्ष में करने के लिए कहा जिसके लिए प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को विक्रय कर दी। उक्त दोनो रंजिश के कारण वादीगणों ने यह झुठा वाद प्रस्तुत किया व धर्म की आड लेकर प्रतिवादीगणों की भूमि को हडपना चाहते है। इसलिए वादीगणों का वाद निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह अर्थात् पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्थान में लागु होने के पूर्व मेवाड सरकार में मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी उपरोक्त आराजीयात के खातेदार कृषक थे व भूमि प्रतिवादीगणों के कब्जे काश्त थी। सम्वत् 2001 अर्थात् आज से 53 वर्ष पूर्व भी वादग्रस्त भूमि के नाथुदास वल्द जालमदास खातेदार काश्तकार थे जो मेवाड सेटलमेन्ट से साबित हैं। इस प्रकार सन् 1944 में आजादी के पूर्व मेवाड सरकार में प्रतिवादीगणों के पिता एवं पितामह ही खातेदार काश्तकार थे जबकि राजस्थान भी बाद में बना एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम टिनेन्सी एक्ट भी बाद में प्रभावशील हुआ। इस प्रकार टिनेन्सी एक्ट के बनने से पूर्व ही प्रतिवादीगणों के पूर्वज उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर काबिज रहे है तत्पश्चात् दूसरा सेटलमेन्ट सन् 1971 से 1991 मध्य समाप्त हुआ उसमें भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता खातेदार दर्ज है एवं उपरोक्त आराजीयात पर वो कब्जे काश्त रहे है व वर्तमान में प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजीयात पर कब्जे काश्त होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के खाते दर्ज हैं। इस प्रकार यदि उपरोक्त भूमि का सम्बन्ध मूर्ति चारभुजा जी से होता तो निश्चित तौर पर सेटलमेन्ट विभाग में उसका इन्द्राज होता जबकि ऐसा कोई इन्द्राज नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

महज दुर्भावनावश यह वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

9. यह कि सन् 1990 में उदयपुर चित्तौड वाया मावली रोड नया बना उसमें प्रतिवादीगणों की भूमि जो वादग्रस्त है उसी में से कुछ भाग पी.डब्ल्यू.डी द्वारा अधिग्रहण किया गया एवं उक्त भाग का मुआवजा अर्थात् एवार्ड की राशि प्रतिवादीगणों को दी गई तब भी गांव के किसी व्यक्ति ने, न ही वादीगणों ने कोई एतराज उठाया यदि मूर्ति मन्दिर से सम्बन्धित होती तो निश्चित तौर पर उपरोक्त मुआवजे की राशि मन्दिर के पक्ष में वादीगणों द्वारा उठायी जाती। उपरोक्त एवार्ड की राशि बाबत् वादीगणों को जानकारी थी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे भी यह सिद्ध होता है कि यह वाद महज दुर्भावनावश ही प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं प्रतिवादीगणों ने ही अपने खाते की आराजी नम्बर 882 का विक्रय इसी गांव के श्री चन्दनसिंह पिता गोविन्दसिंह राव को विक्रय की व कब्जा सिपूर्द किया जिसकी जानकारी भी वादीगणों व सभी ग्रामवासियों को है फिर भी ग्रामवासियों द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया जिससे भी यह सिद्ध होता है कि महज प्रतिवादीगणों के प्रति वादी गुमानसिंह द्वारा चुनावी रंजिश के कारण यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं।

10. यह कि प्रकृति का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति को खतरे में डालकर अर्थात् गंवा कर ग्रामवासीगणों के हित में नहीं देता है जबकि इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को डरा धमका कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्वीकारोक्ति का जवाब दिलवाया गया है, जिसकी सम्भावना प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जवाब में पूर्व में ही कर दी थी, वैसा ही वादीगणों ने करवाया। इस प्रकार वादीगणों ने एक षड्यन्त्र रचकर प्रतिवादीगणों से रंजिश रखने के कारण यह झूठा वाद धर्म की आड में प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त वादीगणों को धारा 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट का वाद लाने का भी कोई अधिकार नहीं है इसलिए भी यह वाद निरस्त किये जाने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगणों/प्रतिवादीगणों का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीगणों का वाद खारिज फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगणों को धारा 35 सी.पी. सी के तहत मुआवजा दिलाया जावें।

11. **प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि गांव आसोलिया की मादडी तहसील मावली में आबादी में ठाकुर जी चारभुजा जी मन्दिर तथा उनके अधीनस्थ अन्य देवस्थान इसी गांव में स्थित है, जिसकी सेवा पूजा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जालम दास वैरागी करता था, इस जमीन को तत्कालीन जागीरदार व ग्रामवासियान ने दी थी क्योंकि यह गांव पहले जागीरी का था। जालमदास के स्वर्गवास के बाद व औंकार दास को धारता से लाये थे एवं उस अकेले से सेवा पूजा नहीं होती थी इस कारण वह नाथूदास को गांव गोटिपा से लाई व गांव वालो की ओर से दोनो मिलकर सेवा पूजा करते थे व भोग चढाते थे व गांव वालो की ओर से इस मन्दिर की भूमियों का उपयोग व उपभोग करते थे। इन भूमियों की खडम ग्रामवासियान की थी व भोग जागीरदार का था। कथित भूमिया डोली के रूप में व खडमभोग भेंट हुई थी जिसका शिलालेख भी मौके पर लिखा हुआ हैं। जिसमें भूमियां ठाकुर जी चारभुजा जी स्थान देह के स्वामित्व व आधिपत्य की थी, जो भी सेवा पूजा भोग आदि का कार्य करता था वही इन आराजीयात का उपयोग उपभोग करता था। इस कारण विवादग्रस्त जमीन प्रतिवादीगण के खाते गलत अंकित हो गई थी जिसे वादी अपने खाते कराने का अधिकारी हैं।

12. यह कि मौजा आसोलिया की मादडी तहसील मावली में पैमाईश दोबारा हुई, जिसमें वादीगण इन डोलियों की जमीन को ठाकुर जी की मानते रहे व हम प्रतिवादीगण भी इस जमीन को ठाकुर जी की ही जानते हैं। रेकार्ड न तो वादी ने देखा था न हमने देखा था। विवादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में आईटम नम्बर 1 व 2 में अंकित भूमियां हम प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपने नाम दर्ज करा ली व आईटम नम्बर तीन में दर्ज भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने तथा आईटम नम्बर 4 में वर्णित भूमिया प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 ने अपने खाते दर्ज करा ली जबकि इन भूमियों का मालिक देवता व देवता की भूमि किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अगर दर्ज की भी जाती है तो व हनल एण्ड वोईड हैं। भूमिया वादीगण की खातेदारी की है व ठाकुर जी चारभुजा जी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

है, इस कारण इन भूमियों का खातेदार काश्तकार वादी को यानि ठाकुर जी चारभुजा जी को घोषित कराया जाना आवश्यक हैं। उक्त भूमियों पर कब्जा चारभुजा जी का चला आ रहा है। यानि वादीगण का चला आ रहा है। नाथूदास वापस राणाकुडी चला गया था। वहीं जमीन खरीद ली एवं 25 वर्षों से वह वहीं रह रहा है तथा गोटिपा में इनकी स्वयं की खातेदारी भूमि भी हैं। नाथूदास की पत्नी व लडके राणाकुई चले गये थे, जिसको 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है, वोटर लिस्ट में राणा कुई में ही इनका नाम हैं। प्रतिवादीगण का कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है वो केवल पुजारी के रूप में इस जमीन को कमाया था। खाते में गलत अंकन हो जाने से प्रतिवादीगण को कोई लाभ नहीं मिलता है क्योंकि म्यूटेशन से कभी किसी को टाईटल नहीं मिलता हैं। उक्त जमीन पर कब्जा चारभुजा जी का ही है तथा उनकी तरफ से ही हम प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 काश्त करते आये हैं। कथित भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का कब्जा नहीं था न उनके द्वारा भूमि बेची ही जा सकती है तथा हम प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का कब्जा केवल मात्र चारभुजा जी की ओर से सेवा पूजा की एवज में है बाकी वास्तविक व कानूनी कब्जा चारभुजा जी का ही हैं।

13. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 ने ठाकुर जी की भूमियों को नुमाईशी बिकावनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में बिना कोई कन्सीड्रेशन प्राप्त किये एक विक्रय पत्र दिनांक 22.11.96 को निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी। कथित विक्रय वादीगण के मुकाबले नल एण्ड वोईड है जिसे कानूनन देखा नहीं जा सकता हैं। जब भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा ही नहीं था तो खरीददारों को कब्जा देने की बात भी बिल्कुल गलत हैं। कथित विक्रय पत्र गलत व नुमायसी सम्पादित किये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने न तो वास्तविक रूप से भूमि को विक्रय ही किया है न खरीददारों को कब्जा ही सिपूर्द किया है जबकि विवादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा ही नहीं था तो उनके द्वारा खरीददारों को कब्जा सिपूर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। कथित जमीन को फर्जी बिकावनामें के आधार पर खरीददार अपने नाम दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, जिसका उसे कोई हक व अधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी कराने का पूरा अधिकार है क्योंकि वादी नाबालिग हैं।

14. यह कि वास्तव में स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नामान्तरकरण खुलवाने या कब्जा छिनने से खरीददार या प्रतिवादीगण को नहीं रोका गया तो वादीगण को बडा भारी नुकसान होगा जिसका ऐवजाना नकदी में नहीं आंका जा सकेगा एवं वादीगण को बडा भारी नुकसान होगा क्योंकि ठाकुर जी नाबालिग है एवं वो सेवा पूजा से वंचित हो जायेंगे, इसके विपरीत कथित जमीन से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए ऐसे मामले में न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं। वादीगण को वास्तविक स्थिति का पता चलते ही उन्होने यह दावा पेश किया है व प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक है कि वो जबरन इस जमीन में प्रवेश नहीं करे व बिनाय मुखास्मत दावा दिनांक 22.11.96 को पैदा हुआ था। वादीगण को कथित जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो इसमें प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को कोई एतराज नहीं हैं। वादी नाबालिग होने से वादी ने यह दावा पेश किया है तथा वादी को इस जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो हम प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को कोई आपत्ति नहीं हैं क्योंकि जमीन देवता की है, केवल राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज करना रह जाने से उनका मालिकाना हक निरस्त नहीं हो जाता हैं। वादी अपना दावा डिक्री कराने का अधिकारी हैं। वादी के पास जो पट्टा है, वह पट्टा सही है तथा पट्टा किया गया है उससे यह भी जमीन देवता (देवस्थान) की ही रहती है व अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

15. **मजीद जवाब पेश कर निवेदन किया** कि पुजारी जालमदास जी वैरागी लाऔलाद फौत होने से सेवा पूजा करने वाला कोई नहीं था, ग्रामवासी हमारे पिता श्री उंकारदास जी को धारता से सेवा पूजा करवाने हेतु लाये गांव व खेडा पर दो मन्दिर होने से पूजा उसने एक ही साथ में दोनो जगहों पर नहीं होती थी इसलिए नाथूदास पिता भगवानदास निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर से सेवा पूजा के लिये हमारे पिता श्री उंकारदास जी आये थे। कुछ समय तक सेवा पूजा की उसके बाद राणा कुडी में जमीन खरीद कर यहां से राणाकुडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

चले गये। उसके बाद आज दिन तक वहीं पर रह रहे हैं। अभी लालदास मावली रह रहा है। सभी भाई राणाकुडी में रह रहे है इनका राशन कार्ड व मतदाता सूची में नाम वहीं पर हैं। यह विवादग्रस्त आराजी न हमारे पितामह की है न उनके पितामह की है। हम धारता आये व नाथुदास गोटीपा के है, हम जालमदास जी के कोई औलाद नहीं हैं। यह विवादग्रस्त भूमि श्री चारभुजा जी की डोली है जो सेवा पूजा करता है वहीं उसका उपयोग करता है हमारे जो राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया है वह गलती से हुआ हैं। वापस श्री चारभुजा जी के नाम दर्ज कराई जावे जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। हमें सेवा पूजा के लिये सिर्फ डोली ही दी गई, सुखडी नहीं देते है, न हम लेते हैं।

16. **वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब का जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया** कि वादीगण ने नेक्स्ड फ्रेण्ड के रूप में जो दावा किया है उसके लिये यह कहना बिल्कुल गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 से 9 के विरूद्व रंजिश के कारण पेश किया हो व कथित चुनाव का इस दावें से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि लालदास तो मावली में वोटर है व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक राणाकुडी में वोटर्स हैं। कथित भूमि चारभुजा जी की है व चारभुजा जी की भूमि गलत तरीके से विक्रय कर दी है इस कारण वह बिकावनामा इनिसीयोवोईड होने से व खरीददार चारभुजा जी जमीन पर कब्जा नहीं करे। इस कारण घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि वादीगण, प्रतिवादीगण की भूमि को हडपना चाहता हो जबकि प्रतिवादीगण की कोई भूमि ही नहीं है तो उसे हडपने का प्रश्न ही नहीं उठता है व वैसे भी गुमानसिंह वगैरा चारभुजा जी नाबालिग होने से उसके नेक्सड फ्रेण्ड हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता ग्राम आसोलिया की मादडी के रहने वाले नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता गोटिपा व राणाकुडी के रहने वाले थे जो हगामी का पति भी था एवं उन्हे गोटिपा से सेवा पूजा के लिए ही यहां लाया गया था तथा वो मन्दिर की सेवा पूजा ही करते थे तथा जो चारभुजा की जमीन थी वह गलती से उन्होने अपने नाम दर्ज करा ली थी जिससे उनको कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। म्यूटेशन से किसी पक्षकार को कोई राईट टाईटल नहीं मिलता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को यह साबित कराना होगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

कि यह जमीन उसके पिता ने किससे खरीदी है जब तक यह चीज साबित नहीं होती है तब तक यह स्पष्ट है कि यह जमीन चारभुजा जी की थी और उन्होने गलती से अपने खाते दर्ज करा ली थी जिसका कि उन्हे हक व अधिकार नहीं था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आया उससे पूर्व भी वो मन्दिर चारभुजा जी की सेवा पूजा करते थे तथा गोटिपा से उसे चारभुजा जी की सेवा पूजा के लिए ही लाया था एवं वह मन्दिर की ओर से यानि गांव वालो की ओर से सेवा पूजा के बदले जमीन पर काश्त भी करते थे। गांव वालो ने कभी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता को सुकंडी नहीं दी न ही सुंकडी के बदले सेवा पूजा करते थे। कथित जमीन जागीरदार ने व ग्रामवासियों ने चारभुजा जी के भेंट की थी व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं मिलता हैं।

17. यह कि उदयपुर चित्तौड रोड वाया मावली रोड सन् 1990 में नया बना होगा व चारभुजा की भूमि कोई होगी तो उसका मुआवजा जो कुछ भी प्रतिवादी ने लिया है वह मुआवजा मन्दिर में गांव वालो को जमा करा दिया गया था एवं गांव वालों ने वह राशि मन्दिर के काम में ही ली है वह राशि प्रतिवादीगण ने अपने काम में नही ली है क्योंकि प्रतिवादीगण ने ईमानदारी से यह कह दिया था कि चारभुजा जी की जमीन कुछ अवाप्ति में चली गई है तथा अवाप्त में जो राशि आई वह मन्दिर के काम के लिए गांव वालों को दे देता हूं व इस आधार पर ग्रामवासियों को अदा कर दी गई थी, इस कारण वादीगण ने उसका कोई झगडा नहीं किया था परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है तथा वो वहां नहीं रहने से एवं जमीन बेचकर कुछ पैसे भविष्य में ले लेगें यह सोचकर जमीन का एक बेनामी व फर्जी बिकावनामा लिख दिया है वह इसका पता चलते ही ग्रामवासियान ने नाबालिग चारभुजा जी की ओर से यह दावा पेश किया हैं।

18. यह कि यह कहना बिल्कुल गलत हैं कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को डरा धमका कर उससे स्वीकारोक्ति जवाब दिलवाया गया हो जबकि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपने जबावदावें में स्वेच्छा से सही स्थिति बताई है व वादीगण ने उन्हे कभी कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि वो स्वयं जानते है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

यह जमीन चारभुजा जी के मन्दिर की है तथा इस जमीन से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नहीं है व केवल सेवा पूजा की एवज में ही इस पर काश्त करने को कहा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने केवलमात्र 8, 9 के कहने में आकर एक फर्जी बिकावनामा तैयार किया जो ऐबइनिसीयोवोईड है जिसे कानूनन देखा ही नहीं जा सकता है। नाबालिग की जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मौके पर कुवा कथित जमीन में जब से डोली भेंट की तब से ही खुदा हुआ था। इस कुए को कभी प्रतिवादीगण ने नहीं खोदा था, न ही प्रतिवादीगण ने उस पर कोई लागत ही लगाई हैं। वादीगण ने दावा बिल्कुल सही पेश किया था व प्रतिवादीगण को भी सही जवाब देना चाहिए था परन्तु जानबुझकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8, 9 ने गलत जवाब दिया है जिसके लिये वादी, प्रतिवादीगण से खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। जवाब उल जवाब को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं।

19. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. क्या वादपत्र की कलम नम्बर 2 में फिकरा क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियां वादी मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी मौजा आसोलिया की मादडी की खातेदारी की है और वादी प्रतिवादीगण का नाम हटाने तथा वादी के नाम घोषित कराने का अधिकारी हैं।

.....वादी

2. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

.....वादी

3. दादरसी।
4. आया वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात बाबत् वादी के पक्ष में जागीरदार द्वारा पट्टा निष्पादित किया गया।

.....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

5. आया वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कोई शिलालेख शुरू से ही लगा हुआ हैं।

.....वादी

6. आया वादी के प्रतिनिधि श्री गुमानसिंह की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दुश्मनी होने के कारण धर्म की आड लेकर यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं।

.....प्रतिवादी संख्या 1 से 5

7. क्या वादग्रस्त भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी बतौर खातेदार कृषक थी।

.....प्रतिवादी

8. क्या टिनेन्सी एक्ट बनने के पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार है एवं इसका वाद पर क्या असर हैं।

.....प्रतिवादी

9. क्या सन् 1990 में उदयपुर–चित्तौड रोड नया बनने के समय पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भूमियों का अधिग्रहण किया गया जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ।

.....प्रतिवादी

20. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री सुरजसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री मेघसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री गुमानसिंह, पीडब्ल्यू 4 श्री शम्भुसिंह, पीडब्ल्यू 5 श्री लोगर, पीडब्ल्यू 6 श्री पन्नालाल, पीडब्ल्यू 7 श्री मनोहरसिंह से जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य वादी गवाह द्वारा दस्तावेज शिलालेख की फोटो प्रति प्रदर्श 1ए, पट्टे की फोटोप्रति प्रदर्श 2ए, विक्रय पत्र दिनांक 23.11.96 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 3, विक्रय पत्र दिनांक 23.11.96 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4, मौजा मादडी आसोलियान की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 की खाता संख्या 176 प्रदर्श 5, मौजा मादडी आसोलिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 की खाता संख्या 175 प्रदर्श

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

6, मौजा मादडी आसोलियान की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 की खाता संख्या 174 प्रदर्श 7, मौजा गोटीपा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 की खाता संख्या 231 प्रदर्श 8, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मावली जिला उदयपुर से जारी सत्यप्रतिलिपि पुलिस मौका पर्चा प्रदर्श 9, मौजा गोटीपा की पर्चा खतौनी मेवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट उदयपुर सम्वत् 2002 प्रदर्श 10, 11, मौका पर्चा पटवारी प्रदर्श 12, मौजा गोटीपा तहसील वल्लभनगर के नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 26.03.2024 की नकल पेज 1 से 2 प्रदर्श 13, मौजा गोटीपा तहसील वल्लभनगर के नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 09.05.2024 की नकल पेज 1 से 2 प्रदर्श 14, लालदास द्वारा पटवारी गोटीपा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय सजरा की सत्यप्रतिलिपि पेज 1 से 3 प्रदर्श 15, नाथूदास का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 16, रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) दिनांक 05.04.2024 पेज 1 से 4 प्रदर्श 17 करवाये गये।

21. प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 श्री लालदास, डीडब्ल्यू 2 श्री दौलतसिंह से जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रतिवाद गवाह द्वारा दस्तावेज ग्राम पंचायत गोटीपा का प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2006 प्रदर्श ए1, मौजा आसोलिया की मादडी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 के खाता संख्या 175 प्रदर्श ए2, खाता संख्या 176 प्रदर्श ए3, मेवाड सेटलमेन्ट विभाग की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2001 प्रदर्श ए4, दस्तावेज भू प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए5, ए6, पर्चा लगान प्रदर्श ए7, पर्चा नोटिस प्रदर्श ए8, ए9, मेवाड सेटलमेन्ट विभाग की नकल जमाबन्दी प्रदर्श ए10, मेवाड सेटलमेन्ट की पानडी प्रदर्श ए11, वादग्रस्त भूमि के नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए12 से ए15, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2051–54 खाता संख्या 175 प्रदर्श ए16, जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श ए17, भूमि अवाप्ति कार्यालय सा.नि.वि. वृत तृतीय उदयपुर के पत्रादि प्रदर्श ए18 से ए20, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2055–58 प्रदर्श ए21, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2051–54 प्रदर्श ए22, भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2030 की खाता संख्या 5 प्रदर्श ए23, भू प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030 प्रदर्श ए24, भू प्रबन्ध विभाग की नकल

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी सम्वत् 2030 की खाता संख्या 7 प्रदर्श ए25, परिचय पत्र लालदास का प्रदर्श ए26, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2036–39 की खाता संख्या 173 प्रदर्श ए27, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.12.1959 की फोटोप्रति प्रदर्श ए28ए, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.96 की फोटोप्रति प्रदर्श ए29ए, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.11.96 की फोटोप्रति प्रदर्श ए30ए करवाये गये।

22. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह निर्विवादित है कि न तो औंकारदास और न ही नाथूदास आसोलिया की मादडी के निवासी थे। औंकारदास धारता व नाथूदास गोटीपा के रहने वाले थे। बाहर के गांव से आकर आसोलिया की मादडी में आकर बसने वाले इन दोनो को भू प्रबन्ध विभाग के प्रपत्रों में बतौर खातेदार दर्ज करना गलत त्रुटिपूर्ण है। जब वक्त भू प्रबन्ध पाया जाये कि कोई व्यक्ति पीढियों से किसी ग्राम में रहना पाया जावें और उस हैसियत से उसका कब्जा किसी कृषि भूमि पर वक्त भू प्रबन्ध पाया जावे तब ही ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बतौर खातेदार का अंकन किया जाता हैं। इस मामले में जालमदास तो पीढियों से ग्राम आसोलियों की मादडी का निवासी व वादग्रस्त भूमि पर काबिज माना जाना चाहिये और यह भी कि वह ठाकुर जी की ओर से काबिज था, ठाकुर जी का पुजारी होने के आधार पर। किन्तु यह बात ओंकारदास व नाथूदास पर लागु नहीं होती इन दोनों में से कोई भी जालमदास का उत्तराधिकारी नहीं हैं। राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां स्वत्व का आधार नहीं होती उन्हे खण्डित किया जा सकता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का यह पक्ष कि सम्वत् 2001 से उक्त भूमि उनके खाते दर्ज है पर्याप्त नहीं हैं। उन्हे इन प्रविष्टियों का आधार साबित करना चाहिए था। जैसा क्या ये उनके बापदादाओं की है ? क्या उन्होने इसे किसी से खरीदा है ? क्या ये उनके बाप दादाओं की विरासत रही है ? क्या उनके बाप दादा ग्राम आसोलियो की मादडी के निवासी थे ? जबकि ये साबित है कि उनके बापदादा इस ग्राम के निवासी नहीं थे बल्कि वे तो धारता व गोटीपा के निवासी होकर ग्राम आसोलियां में बतौर प्रवासी (migrants) रहे हैं। किसी प्रवासी (migrants) को भू प्रबन्ध विभाग को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है। प्रवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

(migrants) और निवासी (ingabitatnt) में बडा फर्क होता है। नाथूदास प्रवासी था इसलिए वह तो वापस राणाकुई/गोटीपा चला गया। ओंकारदास प्रवासी था किन्तु वह/उसका परिवार आज भी ठाकुर जी की ही मान रहा है। वक्त सेटलमेन्ट जालमदास की मृत्यु हो गयी इस कारण इन दोनों का नाम चढ़ा इससे ये तो साबित है कि जालमदास यहां का मूल निवासी था। इन दोनों की उस समय ऐसी क्या हैसियत थी कि भू प्रबन्ध विभाग इनको खातेदारी देवें ? हैसियत यही कि वे ठाकुरजी के पुजारी थे। इसी पहचान से जमीन उनके खाते हुई। इस सम्बन्ध में निम्न न्याय दृष्टान्त अवलोकनीय है :–

AIR Online 2019 SC 2076 Prahlad Pradhan v. Sonu Kumhar

The contention raised by the appellants is that since Mangal Kumhar was the recorded tenant in the suit property as per the Survey Settlement of 1964, the suit property was his self-acquired property. The said contention is legally misconceived since entries in the revenue records do not confer title to a property, nor do they have any presumptive value in the title. They only enable the person in whose favour mutation is recorded, to pay the land revenue in respect of the land in question. As a consequence, merely because Mangal Kumhar's name was recorded in the Survey Settlement of 1964 as a recorded tenant in the suit property, it would not make him the sole and exclusive owner of the suit property.

23. एक नाथूदास नामक व्यक्ति दो अलग–अलग नाम के व्यक्तियों क्रमशः भगवानदास और जालमदास को अपना पिता बताकर सम्पति में 1/2 हिस्से हक का दावा करता है तो ये एक छल है। गोटीपा से नाथूदास को लाये तो उस नाथूदास को लाये जो भगवानदास का बेटा था तो यहां आकर वह जालमदास का बेटा बन बैठा। ये तो तय करना ही है कि नाथूदास जालमदास का बेटा है कि भगवानदास का ? वादीगण ने इस बात की अखण्डनीय दस्तावेजी साक्ष्य पेश है जिससे साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 नाथूदास पिता भगवानदास के वंशज है जालमदास के नहीं। नाथूदास वल्द जालमदास वैरागी या नाथूदास वल्द भगवानदास वैरागी में से जालमदास का उत्तराधिकारी कौन ? जालमदास का बेटा बनकर नाथूदास ने जमीन धोखें से अपने खाते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

करा ली। ऐसा वहीं व्यक्ति कर सकता है जिसे जालमदास की जमीन हडपनी हो। जालमदास का नाम सेटलमेन्ट के रेकार्ड में दर्ज होना इस बात का संकेत व प्रमाण है कि जो भी हो जालमदास का वादग्रस्त भूमि से कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा है। जालमदास के नाम का समस्त रेकार्ड प्रतिवादीगण ने खुद पेश किया हैं। जालमदास के नाम की जमीन नाथूदास के नाम किस हैसियत से आयी ? जबकि वो तो भगवानदास का बेटा है ? स्पष्ट होता है कि जालमदास का बेटा बन कर वह आसोलिया की मादडी की जमीन हडपना चाहता है और गोटीपा की जमीन वह भगवानदास की विरासत से ले चुका है। यानि एक व्यक्ति और दो अलग–अलग वल्दियतें ? जालमदास के नाम का अंकन होने के बारे में प्रतिवादीगण का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आने से यही माना जाना चाहिए कि वादी का अभिकथन रेकार्ड से मेल खाता हैं। प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा पेश दस्तावेजो में ''जालमदास'' के नाम की प्रविष्टि के इर्द गिर्द ही सारा प्रकरण घूम रहा है और प्रतिवादीगण इन प्रविष्टियों पर रिलाई करते है तो फिर प्रश्न उठता है कि जब वो स्वीकृत रूप से भंवरदास के वंशज है तो जालमदास के नाम की प्रविष्टि से उसकी जमीन अपने खाते कराने का क्या अधिकार रखते है ? वादग्रस्त भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था और गांव छोडकर जाते समय वे जमीन बेचकर चले गये जो वाकई में ठाकुर जी की थी।

24. प्रतिवादी संख्या 8 से 10 ने न तो कोई जवाब दावा पेश किया और न ही बयान देने कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी तरफ से श्री दौलतसिंह पेश हुआ जब कि वो पार्टी टू द प्रोसिडिंग नहीं हैं। बयान के लिए पार्टी टू द प्रोसिडिंग का न्यायालय में पेश होना आवश्यक है :–

AIR 1999 SUPREME COURT 1441 Vidhyadhar Appellant v. Mankikrao and another Respondents

Evidence Act (1 of 1872), S.114 – Adverse inference – Party to suit – Not entering the witness box – Give rise to inference adverse againse him.

Where a party to the suit does not appear into the witness box and states his own case in oath and does not offer himself to be cross examined by the other side, a presumption would arise that the case set up by him is not correct. In the instant case defendant No. 1 alleged that the sale deed,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

executed by defendant No. 2 in favour of the plaintiff, was fictitious and the whole transaction was a bogus transaction as only Rs. 500/- were paid as sale consideration to defendant No. 2. But this plea was not supported by defendant No. 1 as he did not enter into the witness box. He did not state the facts pleaded in the written statement in oath in the trial Court and avoided the witness box so that he may not be cross examined. This, by itself, is enough to reject the claim that the transaction of sale between defendant No. 2 and the plaintiff was a bogus transaction. (Paras 16 15)

25. दौलतसिंह अधिक से अधिक प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का गवाह हो सकता है वह प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का स्थान नहीं ले सकता। इसका दूसरा पहलु यह है कि इस गवाह को पक्षकारों – प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के पहले पेश करने बाबत् न्यायालय से ऐसी कोई पूर्वानुमति नहीं ली है कि उनसे यानि पक्षकार से पहले उनके गवाह को परीक्षित किया जावें। इस बारे में आदेश 18 नियम 3–ए सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान उपलब्ध है उसका उल्लंघन करके श्री दौलतसिंह को पेश करने से उसका बयान प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के पक्ष के समर्थन में पढा जाने योग्य न होकर नकारे जाने योग्य हैं। सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है :–

Order-18 (3-A) Party to appear before other witnesses – Where a party himself wishes to appear as a witness, he shall so appear before any other witness in his behalf has been examined, unless the Court, for reasons to be recorded permits him to appear as his own witness at a later stage.

26. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने जो सहमति का जवाब पेश किया है उस सहमति को उन्होने अपने जीवनकाल में कभी विड्रो नहीं किया और नामकायमी के बाद संयोजित उनके वारिसान भी उपस्थित नहीं हुए और अपने पूर्वाधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष पर कायम रहे। एक प्रकार से वादी और प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के मध्य वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के लिए राजीनामा हो गया है। 1/2 हिस्से बाबत् तो कोई विवाद ही नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का जवाबदावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में Admission की श्रेणी में आता है और Admission

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

को साबित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है :–

Admission by party to proceeding or his agent. (1) Statements made by a party to the proceeding, or by an agent to any such party, whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorized by him to make them, are admissions.

(2) Statements made by –

(I) parties to suits suing or sued in a representative character, are not admissions, unless they were made while the party making them held that character ;

(II) (a) persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding, and who make the statement in their character of persons so interested ; or

(b) persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit,

are admissions, if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements.

17. Admission by persons whose position must be proved as against party to suit. – Statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admission, if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

llustration.

A undertakes to collect rents for B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that rent was due from C to B. A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

27. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने जो सहमति का जवाब पेश किया है उस पर आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता by way of analogy लागु किया जा सकता है जो इस प्रकार है :–

Compromise of suit. – Where it is proved to the satisfaction of the Court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise 1 [in writing and signed by the parties] or where the defendant satisfied the plaintiff in respect to the whole or any part of the subject-matter of the suit, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass a decree in accordance there with so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subjet-matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject-matter of the suit:]

Provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the Court shall decide the question; but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question, unless the Court, for reasons to be recorded, thinks fit to grant such adjournment.

Explanation. – An agreement or compromise which is void or voidable under the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), shall not he deemed to be lawful within the meaning of this rule.]

उक्त प्रावधान के अनुसार यह आसानी से कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने अपने 1/2 हिस्से बाबत् वादीगण से राजीनामा कर लिया हैं। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/2 हिस्सा वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का रास्ता खुल चुका है सो उक्त हिस्सा वादीगण के नाम पर दर्ज करने में कोई विधिक रूकावट नहीं हैं।

28. एक सहखातेदार (प्रतिवादी संख्या 6 व 7) का कथन/एडमिशन दूसरे सहखातेदार (प्रतिवादी संख्या 1 से 5) पर बाध्यकारी होता हैं। ऐसा इस कारण कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के जवाबदावा में रखे गये पक्ष का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। ऐसा खण्डन वह आदेश 8 नियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त करके पेश कर सकता था। इस सम्बन्ध में निम्न न्याय दृष्टान्त अवलोकनीय है :–

AIROnline 2015 Raj 1 Ramswaroop (dead) through his LRs and Ors. v. Manna Lal and Ors.

Rajasthan Land Revenue Act (15 of 1956), S.187 – Civil P.C. (5 of 1908), O.8 R.1, O.20 R 18 – Suit for partition – Admission in WS – Effect – Plaintiff's suit based in land being ancestral and it be partitioned in basis of his possession as per old existing arrangement – Defendant in WS admitted that suit property was ancestral from time of common ancestor and stated that suit to be decreed as prayed – Defendant also made similar admission of suit land being ancestral in earlier suit filed by other co-owner – No reason whatsoever for Sub-Divisional Officer (SDO) to require plaintiff to prove all facts that are admitted by defendant in his WS – Admission in WS to plaintiff's benefit cannot be withdrawn to his prejudice – Application filed by defendant for withdrawn to his prejudice – Application filed by defendant for withdrawal of admission dismissed on ground of delay – Order of SDO decreeing suit in favour of plaintiff, proper. Evidence Act (1 of 1872), S.58-(Paras 12 13 14 15)

29. सम्वत् 2001 यानि सन् 1944 में न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और न राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रभावशील थे तो उस समय मेवाड में प्रभावशील कवायद माफी सम्वत् 2001 यानि सन् 1944 ही प्रचलित विधि थी जो उस समय के अंकनो पर लागू होगी। देखना यह है कि उस समय इस विधि का पालन हुआ कि नहीं ? कवायद माफी के लागू होने व आसोलिया की मादडी के भू प्रबन्ध का एक ही सम्वत् है। इसकी दफा 4 (4), 7 व 35 अवलोकनीय है जो इस प्रकार है :–

''दफा 4(4)–जो माफी देवस्थान के भेंट हो या देवस्थान की सेवा–पूजन या दीगर कारोबार के लिये अता की गई हो वह देवस्थानी माफी कहलायेगी।''

''दफा 7–देवस्थान माफी के इन्द्राज के मुताल्लिक–देवस्थान ताल्लुक की माफी देवस्थान के नाम दर्ज होगी और पुजारी व मुजाविर (an attendant at a mosque or shrine, one who is constantly in prayer and meditation in a mosque, the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

sweeper of a mosque, devoutly employed किसी मुस्लिम धर्म स्थान की देखरेख करने वाला) सरवराकार तसव्वुर किये जावेंगे।

''दफा 35 – कार्यवाही निस्बत देवस्थानी माफी जिसकी सनद में तशरीह न हो–सनद में देवस्थान का तजकरा न हो लेकिन ऐसी सूरत पाई जाये कि वह माफी देवस्थान के साथ है और उसका अमल जारी है तो ऐसी माफी देवस्थानी माफी शुमार होगी।''

30. उक्त प्रावधानों का सार यह है कि मन्दिर के रख रखाव व उसकी देखभाल के लिये दी गयी माफी देवस्थानी माफी की श्रेणी में आती है। देवस्थानी माफी में अंकित भूमि देवस्थान के नाम पर दर्ज होगी और पुजारियों को सरवराकार (व्यवस्थापक) दर्ज किया जायेगा। यदि देवस्थानी माफी की सनद में देवस्थान (जैसे इस मामले में श्री चारभुजा जी) का उल्लेख नहीं किया गया हो व यह पाया जाये कि माफी देवस्थान के साथ है, तो ऐसी माफी देवस्थानी माफी कहलायेगी। स्पष्ट है कि इस विधि का उल्लंघन करके ठाकुर जी चारभुजा जी के बजाय सीधे ही पुजारियों को बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण हैं। इस वाद में शिलालेख प्रदर्श 1 को या सम्वत् 2001 के भू प्रबन्ध के दस्तावेज को सनद माना जा सकता हैं। प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस बात का क्या प्रमाण कि भूमि ठाकुर जी चारभुजा जी के स्वामित्व की है ? सबसे बडा प्रमाण तो एक पुरातात्विक अभिलेख–शिलालेख प्रदर्श 1 है जो आज भी मौके पर रोपा हुआ है जैसा कि प्रदर्श 12 में अंकित हैं। दूसरा सन् 1904 का एक दस्तावेज प्रदर्श 2 है जिसके जरिये ग्रामवासियों ने भूमि ठाकुर जी को भेंट की। यह निर्विवादित है कि सम्वत् 2001 के भू प्रबन्ध के रेकार्ड में जागीरदार शब्द का उल्लेख आना इस बात का प्रमाण है कि ग्राम आसोलिया की मादडी जागीरदार को बतौर माफी यानि जिस गांव का लगान उससे नहीं लिया जा सकेगा, दिया गया था। अगर जागीरदार को दी गयी माफी की भूमि ''माफी देवस्थानी'' नहीं होती तो जागीरदार, जागीर के पुनर्ग्रहण के बाद जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के आधार पर वादग्रस्त भूमि बतौर खातेदार अपने खाते करा लेता जो उसने नहीं करायी। ऐसा इस कारण नहीं हुआ क्योंकि माफी देवस्थानी श्रेणी की थी। विदित रहे कि मात्र एक दो आराजीयात

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

नहीं बल्कि पूरा गांव जागीरदार की जागीरी था। सन् 1958 में पूरे गांव के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही चली जिसमें जागीरदार ने इस भूमि में अपने अधिकार क्लेम नहीं किये, किये होते तो ये आराजीयात आज जागीरदार के खाते दर्ज होती। वक्त भू प्रबन्ध कवायद माफी की धारा 4 (4) के अनुसार ठाकुर जी के नाम पर दर्ज करने के बाद बतौर पुजारी नाथूदास व ओंकारदास का नाम बतौर पुजारी अंकित किया जाना था जो नहीं कर ठाकुर जी का नाम विलोपित करके पुजारियों को खातेदार दर्ज कर दिया गया। ऐसे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से ठाकुर जी बाध्य नहीं है। ठाकुर जी को यह पूरा अधिकार है वे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तत्समय प्रचलित विधि के आधार पर अंकन नहीं करने के कारण धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ऐसे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को चुनौती देकर अपनी खातेदारी की घोषणा करवाये।

31. शाश्वत अवयस्क की सम्पति के विवाद में अवयस्क का सर्वोपरि हित (paramount interest) देखना न्यायालय का परम पुनीत कर्तव्य हैं। इस सम्बन्ध में निम्न न्याय दृष्टान्त अवलोकनीय है :–

AIR 1967 SUPREME COURT 1044 Bishwanath and another Appellants v. Sri Thakur Radha Ballabhli and others Respondents.

(A) Civil P.C. (5 of 1908), S.92 – Scope – Suit by an idol for devlaration of title and possession of property from a person in illegal possession – Maintainability – S. 92 is no bar – Even worshipper can sue when cause of action is due to shebait acting adversely.

Hindu Law – Religious endowment – Suit by worshipper representing idol for recovery of its property.

A suit filed by an idol for declaration of its title and possession of property from a person who is in possession there of under a void alienation, being only in the nature of enforcement of a private right by the idol and not being for any one of the reliefs found in S. 92 of the Code of Civil Procedure, falls outside its purview and is not barred. (Para 7)

When such an alteration has been effected by the shebait acting adversely to the interests of the idol even a worshipper can file the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

suit, the reason being that the idol is in the position of a minor and when the person representing is leaves it in a lurch, a person interested in the worship of the idol can certainly be clothed with an ad hoc power of representation to protect its interest, (1878) ILR 3 Bom 27 and (1883) ILR 5All 497 and AIR 1918 Mad 464 and (1911) ILR 33 All 660 (664) and AIR 1917 Mad 112 (FB) and AIR 1934 Pat 584 and AIR 1949 Cal 199, App. AIR 1925 PC 139 and AIR 1933 PC 198 (1), Rel. on. AIR 1938 Pat 394 and AIR 1954 Orissa 11 Disapp. (Para 10)

To invoke S. 92 of the Code of civil Procedure, three conditions have to be satisfied, namely, (i) the trust is created for public purposes of a charitable or religious nature ; (ii) there was a breach of trust or a direction of Court is necessary in the administration of such a trust ; and (iii) the relief claimed is one or other of the reliefs enumerated therein. If any of the three conditions is not satisfied, the suit falls outside the scope of the said section. The relief in the suit for declaration that a property belongs to the trust is not one of the reliefs enumerated in S. 92 and as such, the provision of that section are not attracted. AIR 1928 PC 16; AIR 1952 SC 143, Foll. AIR 1959 Bom 491, App (Para 7)

In recovering the possession of its property from a person who is in illegal possession thereof, the idol is only enforcing its private right and, therefore, S. 92 of Code of Civil Procedure is not applicable to such a suit instituted by idol for recovery of its property.

32. दस्तावेज प्रदर्श 1 शिलालेख जिस पर अंकित है ''श्री राव जी बाघा तलाई एक रामार्पण की दी सम्वत् 1398'' यानि 684 साल पहले का। पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श 12 में भी इसका उल्लेख है जो आज भी मौके पर गढा हुआ होना साबित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार शिलालेख को दस्तावेज माना गया हैं। सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है :–

(d) "document" means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures or marks or any other means or by more than one of those means, intended to be used, or

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

which may be used, for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records.

llustrations.

(i) A writing is a document.

(ii) Words printed, lithographed or photographed are documents.

(iii) A map or plan is a document.

(iv) An inscription on a metal plate or stone is a document.

(v) A caricature is a document.

(vi) An electronic record in emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidence and voice mail messages stored on digital devices are documents ;

33. प्रदर्श 1 की विश्वसनीयता इसी से साबित है कि यह 684 साल पहले का ऐसा प्राचीन दस्तावेज है जिसमें तलाई शब्द का उल्लेख आता है जो विशेष रूप से अवलोकनीय हैं। यह शब्द तलाई वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2001 के दस्तावेजो प्रदर्श ए4, प्रदर्श ए5, प्रदर्श ए10 व प्रदर्श ए11 में अंकित आराजीयात के साथ अंकित हैं। इससे प्रदर्श 1 में अंकित भूमि का सम्बन्ध वादग्रस्त भूमि से होना बखूबी साबित होता हैं। प्रदर्श 1 पर वादीगण से जिरह के दौरान इसकी विश्वसनीयता को सन्देह के घेरे में नही लाया जा सका हैं।

34. दस्तावेज प्रदर्श 2 पर वादीगण की बहस – इस बारे में प्रदर्श अंकित करते समय प्रतिवादीगण ने ऐतराज किया। उसके बाद वादीगण ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में 30 वर्ष पुराना रेकार्ड होने से औपचारिक सबूत पेश करने से छूट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र भी पेश किया। इस पर माननीय न्यायालय ने ऐतराज व प्रार्थना पत्र पर वक्त बहस उचित निर्णय लिया जाने का आदेश दिया। निवेदन है कि जिसे वाद में चूकवश पट्टा कहा गया है वास्तव में गहन अर्थान्वयन (interpretation) करने पर वो पट्टा न होकर ग्रामवासियों द्वारा ठाकुर जी की मूर्ति को की गयी भेंट का प्रमाण हैं। दस्तावेजो के अर्थान्वयन पर एक सुसंस्थापित विधि प्रचलित है जिसके अनुसार दस्तावेज की प्रकृति का निर्धारण उसकी सामान्य भाषा व इसके पक्षकारों की मंशा (intention of parties

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

to the document) पर निर्भर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पडता कि उसे देवता को भेंट के बजाय पट्टा सम्बोधित कर दिया गया हो। यानि किसी दस्तावेज पर गोदनामा शीर्षक अंकित हो गया हो जबकि उसे पढने पर उसकी प्रकृति वसीयत के रूप में सामने आती हो तो उसे वसीयत ही माना जायेगा न कि गोदनामा। दरअसल ठाकुर जी का मन्दिर तो गांव की स्थापना के साथ ही निर्मित हो गया था किन्तु गांव में ठाकुर जी के नाम पर कोई जमीन नहीं थी इसी कारण ग्रामवासियों ने ठाकुर जी को जमीन भेंट की जिसका ही उल्लेख प्रदर्श 2 में हैं। ग्रामवासियों की इस आस्था का सम्मान किया जावे यह निवेदन हैं।

35. दस्तावेज प्रदर्श 2 दस्तावेज सम्वत् 1961 (सन् 1904) श्रावण विद एकम गुरूवार को निष्पादित हुआ है। इस पर निम्नलिखित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है :–

1– सबलसिंह के जो मादडी के जागीरदार

2– जोधसिंह पिता एकलिंगदास जी मादडी

3– सादूलसिंह पिता भेरजी (भेरूसिंह) प्रकरण में खरीददारों के पति एवं पिता श्री दौलतसिंह जी के पूर्वज

4– राव हमीरसिंह पिता मनरूप जी

36. दस्तावेज प्रदर्श 2 वादीगण की अभिरक्षा में होना यह साबित करता है कि उक्त दस्तावेज पुजारियों में से किसी को भी नहीं देकर ग्रामवासियों ने इसे अपने पास सम्भाल कर रखा। यदि ये दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पास होता तो वे इसे गायब करके सबूत ही मिटा देते कि भूमि ठाकुर जी के स्वामित्व की हैं। इस प्रकार धारा 90 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति Proper custody में इस दस्तावेज की custody ग्रामवासियों के पास होना किसी भी तरह संदेहजनक नहीं हैं। यदि ग्रामवासियों के पास ये दस्तावेज सुरक्षित नहीं होता तो किसके पास हो सकता था ? पुजारियों के पास भी हो सकता था। इन दोनों के अलावा इसकी कस्टडी अन्य किसी के पास हो ही नहीं सकती थी। इस प्रकार यह दस्तावेज प्रोपर कस्टडी से न्यायालय में पेश हुआ है जिसे विधिवत साबित करने से छुट दी जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। वैसे भी श्री दौलतसिंह के पूर्वहिताधिकारी श्री भेरूसिंह ने प्रदर्श 2 पर हस्ताक्षर कर रखे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

है और श्री दौलतसिंह को उक्त प्रदर्श की पूरी जानकारी है इसलिए उसे प्रदर्श 2 को वक्त जिरह पढने के लिये कहा गया तो उसने पढने से इन्कार कर दिया और नहीं पढने की बहानेबाजी करने लगा। इस पर पूछे जा सकने वाले सवालों से बचने के लिये उसने ऐसा आचरण किया जिस पर गौर किया जाना आवश्यक हैं। प्रदर्श 2 पर प्रतिवादीगण का ऐतराज रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प बाबत् है तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि देवता को की गयी भेंट के दस्तावेज प्रदर्श 2 पर स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनीय है :–

AIR 2011 SUPREME COURT 389 Sainath Mandir Trust v. Vijaya and Ors (Para 14)

"14. It is no doubt true that the gift deed was an unregistered instrument and no title could pass on the basis of the same under Section 123 of the Transfer of Property Act. However, when the document is in the nature of a dedication of immovable property to God, the same does not require registration as it constitutes a religious trust and is exempt from registration, We have taken note of a Full Bench decision of the Madras High Court reported in AIR 1927 Mad, 636 in the case of Narasimhaswami vs. Venkatalingam and others, wherein it was held that Section 123 of the Transfer of Property Act does not apply to such a case for "God" is not a "living person" and so the transaction is not a "transfer" as defined by Sec.5 of the Transfer of Property Act. Thus, a gift to an idol may be oral and it may be effected also by an unregistered instrument, But a different view has been taken in the case of Bhupati Nath vs. Basantakumari, AIR 1936 Cal. 556; Chief Controlling Revenue Authority vs. Sarjubai, AIR 1944 Nag. 33. In the Full Bench decision of the Madras High Court in the matter of Narasimhaswami (supra), it had been argued that a gift to idol of lands worth over Rs.100 requires registration and that a mere recital in the deed of gift which had been made, would not pass property. But it had been held by the Full Bench that dedication of property to God by a Hindu does not require any document and that property can be validly dedicated without any registered instrument. In the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

aforesaid case, the deed of gift was not to a specified idol but to the Almighty Sri Kodanda Ramachandra Moorti. Dealing with this matter, the Full Bench took note of the observation in the matter of Pallayya vs. Ramavadhanulu, reported in 1903 (13) M.L.J. 364 wherein it was held by Benson and Bhashyam Alyangar, JJ. that a declaration of trust in relation to immovable property for a public religious purpose is not governed by the Indian Trusts Act which by S. 1 declares it inapplicable to religious trusts. It was also held that 5.123 of the Transfer of Property Act has no application to dedication of land to the public as the section only applied to cases when the donee is an ascertained or ascertainable person by whom or on whose behalf a gift can be accepted or refused. Taking notice of several authorities, it was held that no document was necessary for the dedication of property to charity. The Full Bench recorded as follows: "We have not been referred to any case where it has been held that an oral gift for a religious purpose requires registration. In this connection, I may point out that 5.123 of the Transfer of Property Act only applies to transfer by one living person to another". S.5 of the Act runs as follows: "In the following sections, 'transfer of property' means an act by which a living person conveys property, in present or in future, to one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons and 'to transfer property' is to perform such act. The learned Judges noted that a gift to God which in the said case was Sri Kodanda Ramachandra Moorti cannot be held to be a gift to a living person. It had been argued in the said matter that an idol in law is recognised to be a juristic person capable of holding property and it must be held that a gift to an idol is a gift to a living person. But it was held therein that the Almighty by no stretch of imagination, legal or otherwise, can be said that the Almighty is a living person within the meaning of the Transfer of Property Act. The learned Judges of the Full Bench saw no reason to differ from the Madras case cited in that matter where the law had been settled for several years as it was observed that the principle of 'stare decisis' should be applied unless

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

there are strong reasons to the contrary as otherwise it would unsettle many titles. Concurring with this view, Chief Justice Reilly held that if the gift is not intended to a living person within the meaning of 5.5 of the Transfer of Property Act, the document would not require registration. This judgment surely has a persuasive value to the issue with which we are confronted in the instant matter and tilts the scale of justice in favour of the appellant-trust as the plot was essentially dedicated to Sai Baba for a charitable purpose, although the same was in the form of an unregistered deed of gift."

37. दस्तावेज प्रदर्श 8, प्रदर्श 10, प्रदर्श 11, प्रदर्श 13, प्रदर्श 14, प्रदर्श 15 पर वादीगण की बहस – उक्त दस्तावेजो से वादीगण ने यह साबित कराया है कि नाथूदास भगवानदास का पुत्र था जालमदास का नहीं। प्रतिवदीगण के दस्तावेज प्रदर्श ए4, प्रदर्श ए5, प्रदर्श ए6, प्रदर्श ए7, प्रदर्श ए8, प्रदर्श ए9, प्रदर्श ए10, प्रदर्श ए11 पर वादीगण की बहस – इन दस्तावेजो से यह साबित होता है कि नाथूदास ने अपने आपको जालमदास का पुत्र बताकर इन दस्तावेजो में वर्णित भूमि अपने नाम पर सम्वत् 2001 के भू प्रबन्ध में करा ली। इनसे यह भी साबित होता है कि वास्तव में जो नाथूदास भगवानदास का पुत्र है उसने जालमदास का पुत्र बताकर जो इन्द्राज कराये है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किये गये है वे प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण हैं। छल पर आधारित प्रविष्टियों का विधि में कोई स्थान नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि यदि ये दावा डिक्री नहीं होता है तो एक प्रकार से सन्देश जायेगा कि एक व्यक्ति दो अलग अलग पिता की सन्तान बनकर दोनों पिताओं की जायदाद प्राप्त कर सकता हैं। एक ही व्यक्ति के–दो पिता ? इस सम्बन्ध में विस्तार से ऊपर बहस की जा चुकी है जिसे यहां दोहराना उचित नहीं हैं।

38. **प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 8 से 10 द्वारा लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्त** RRD 1980 Page 766, AIR 1971 Supreme Court Page 1865, AIR 1989 ALLAHABAD Page 130, AIR 1984 Orissa Page 88, AIR 1952 Travacore Cochin Page 185, RRD 1995 Page 191, RRD 1992 Page 284 पेश कर निवेदन किया कि वाद के संक्षिप्त तथ्य है कि वादीगण द्वारा एक वाद खातेदारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 रा. टि. एक्ट में प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जाकर बताया गया कि ग्राम आसोलिया की मादडी में स्थित वादग्रस्त आराजीयात ठाकुर जी श्री चारभुजा जी मन्दिर की है, जिसको तत्कालीन जागीरदार एवं गांव के निवासियों ने मन्दिर को दी थी। उक्त मन्दिर की सेवा पूजा जालमचन्द नाम का एक व्यक्ति करता था, जिसकी निसंतान मृत्यु हो जाने से उसकी विधवा अपने भाई उंकारदास को धारता से तथा अपने रिश्तेदार नाथूदास को लायी, जो सेवा पूजा करते थे। इन जमीनों की खडम गांववासियों और भोग जागीरदार की होने से उन्होने ठाकुर जी को भूमियां डोली के रूप में भेंट की थी, जिसका असल पट्टा सम्वत् 1961 सावन विद में किया गया था। उक्त भूमि डोली के रूप में खडम भोग से भेंट हुई जिसका शिलालेख मौके पर लगा हुआ हैं। गांव आसोलियान की मादडी की पैमाईश दो बार हुई, किन्तु वादीगण इस जमीन को ठाकुर जी की मानते रहे इस कारण पैमाईश का रेकार्ड नहीं देखा। आईटम नम्बर 1, 2 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 414, 461, 462, 822, 826, 830 एवं 831 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम शामिल में तथा आईटम नम्बर 3 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 817, 823, 825, 829, 882 की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम तथा आईटम नम्बर 4 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 821, 824, 827 एवं 828 प्रतिवादी संख्या 6, 7 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार का अंकन वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं। कब्जा शुरू से ग्रामवासियों का अर्थात् वादीगण का चला आ रहा हैं। नाथूदास ने गांव राणाकुई में जमीन खरीद ली और वो वहीं चला गया, जिससे बाद में मन्दिर की सेवा पूजा भेरूदास व सेवादास कर रहे हैं। वाद प्रस्तुती के तुरन्त पहले वादीगण को पता लगा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आराजी संख्या 830 एवं 831 किता 2 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9, 10 को एवं आराजी संख्या 817, 823, 825, 829 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा को तथा चाह नम्बर 826 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को दिनांक 22.11.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित कर दिया। इस प्रकार का विक्रय नल एण्ड वोईड हैं। विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण जमीनों पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करेंगे जिससे वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना है कि वाद के फिकरा क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियों को मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी स्थान आसोलिया की मादडी के नाम पर खातेदारी हक से घोषणा करायी जावे, प्रतिवादीगण के नाम से हटायी जाकर वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे तथा प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से भूमि में प्रवेश करने से रोका जाने एवं हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् निषेधाज्ञा पारित करायी जावें।

39. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 8, 9 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के संक्षिप्त तथ्य है कि उपरोक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 8, 9 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को अस्वीकार किया गया एवं दर्शाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमियां कभी भी मूर्ति ठाकुर जी स्थान आसोलिया की मादडी की नहीं रही हैं। आसोलियान की मादडी में जो मन्दिर है उसकी सेवा पूजा सुंकडी अर्थात् 10 किलो अनाज प्रति घर से मिलने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा की जाती रही हैं। वादग्रस्त जमीनों से मूर्ति ठाकुर जी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। भूतपूर्व जागीरदार द्वारा पट्टा देने का कथन अस्वीकार हैं। मौके पर कोई शिलालेख लगा हुआ नहीं था किन्तु हाल ही में वादीगणों ने एक कुटरचित फर्जी शिलालेख बनाया है जिस पर वादीगण द्वारा रंग किया जाकर कुटरचित शैली का लेखन किया गया हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वजों के समय से चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा है, वे ही काबिज होकर काश्त करते है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने उक्त भूमि में कुंआ भी खोद रखा है, जिससे उक्त आराजीयात की सिंचाई होती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया हैं। कब्जा सरसो की फसल लेने के बाद सिपूर्द किया गया हैं। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम वाद प्रस्तुती से 53 वर्षों पहले से ही दर्ज है, जिसका ज्ञान वादीगण को होने के बावजूद जानबुझकर इस तथ्य को छिपाया गया हैं। उपरोक्त भूमि कभी भी चारभुजा जी के खाते नहीं रही, न ही कभी थी, न ही आराजीयात पर कभी भी वादीगण का कब्जा काश्त रहा हैं। वादग्रस्त भूमियों पर राजस्थान टिनेन्सी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट के लागू होने के पहले से ही खातेदारी हक एवं कब्जा प्रतिवादीगणों का चला आ रहा हैं एवं भूमिया प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के नाम भी अंकित रही हैं। वादीगणों का वादग्रस्त भूमियों से कोई संबंध नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खातेदार एवं कब्जेधारी होने से उन्होने प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को जो विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया है एवं ऐसा करने के लिए वे कानूनन अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 अपनी खरीदशुदा भूमि के उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है, वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण इस वाद की आड में प्रतिवादीगण की भूमि में जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। प्रस्तुत वाद अवधि बाहर हैं। विशेष वादोत्तर में प्रतिवादीगण ने दर्शाया कि वादीगणों ने प्रतिवादीगणों से रंजिश होने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद मित्र गुमानसिंह पंचायत के चुनाव में सरपंच का उम्मीदवार था एवं प्रतिवादीगणों ने चुनाव में गुमानसिंह का साथ नहीं दिया, जिससे गुमानसिंह ने अन्य लोगों को गुमराह कर मिथ्या वाद मित्र बनाकर यह झूठा वाद प्रस्तुत किया हैं। बाद में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उनकी भूमि का विक्रय वादीगण के पक्ष में करने के लिए कहा जिसके लिए प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए तो धर्म एवं मन्दिर की आड लेकर अब वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि को हडपना चाहते है। वादग्रस्त भूमि मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह अर्थात पूर्वजों के खातेदारी में अंकित थी, वे ही खातेदार कृषक होकर काबिज थे। सम्वत् 2001 अर्थात् वाद प्रस्तुती से 53 वर्ष पूर्व भी मेवाड सेटलमेन्ट के पर्चा सेटलमेन्ट में उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास के नाम से खातेदारी में दर्ज है जबकि मेवाड राज्य के बाद राजस्थान राज्य भी बाद में बना एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होने के पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर काबिज रहे हैं। दूसरा सेटलमेन्ट सन् 1971 से 1991 के मध्य हुआ, उस समय भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता खातेदार दर्ज होकर कब्जे काश्त में रहे है। वर्तमान में प्रतिवादीगण खातेदार होकर काबिज हैं। यदि उक्त भूमि का सम्बन्ध मूर्ति चारभुजा जी से होता तो निश्चित ही सेटलमेन्ट विभाग में इसका इन्द्राज अवश्य होता। सन् 1990 में उदयपुर चित्तौड रोड वाया मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

नया बना, उसमें भी वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अधिग्रहण किया गया, उसके मुआवजे की राशि भी प्रतिवादीगणों को प्राप्त हुई है एवं उस समय गांव के किसी भी व्यक्ति ने अथवा वादीगणों ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। यदि भूमि मन्दिर की होती तो मुआवजे की राशि वादीगणों द्वारा उठायी जाती। उक्त अवार्ड की राशि का वादीगण को ज्ञान होने पर भी उन्होने तत्समय कोई एतराज नहीं किया। इतना ही नहीं प्रतिवादीगण ने अपने खाते की आराजी नम्बर 882 का विक्रय इसी गांव के चन्दनसिंह पिता गोविन्दसिंह राव को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया गया, किन्तु उसके सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि गुमानसिंह द्वारा महज चुनावी रंजिश के कारण यह वाद मात्र दुर्भावना से पेश करवाया गया हैं। वैसे भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति को खतरे में डालकर ग्रामवासियों को नहीं देता हैं। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को डरा धमकाकर स्वीकारोक्ति का जवाबदावा दिलवाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जवाब में ही पहले से व्यक्त कर दी गयी थी, जिससे वादीगण का वाद धारा 88 एवं 188 में चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

40. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा वादीगण के वाद का सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण के पक्ष में वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं दर्शायी गयी हैं।

41. वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 8, 9 के जवाबदावें का जवाबुल जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यह गलत है कि वादीगण द्वारा रंजिश के कारण यह वाद पेश किया गया हो। कथित चुनाव का इस दावे से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। कथित भूमि चारभुजा जी की होने के कारण बिकावनामा एबइनीशियों वोईड हैं। जब भूमि ही प्रतिवादीगण की नहीं है तो हडपने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। गुमानसिंह वगैरह चारभुजा जी के नाबालिग होने से उसके नेक्स्ट फ्रैन्ड हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता गोटीपा व राणाकुडी के रहने वाले थे, जिनको

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

सेवा पूजा के लिए यहां लाया गया था। चारभुजा जी की जमीन गलती से उन्होने अपने नाम दर्ज करा ली, जिससे उन्हे कोई अधिकार नहीं मिलता हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आने से पहले ही मंदिर की सेवा पूजा हेतु गांव वालों की ओर से लाया गया था एवं सेवा पूजा के बदले जमीन काश्त हेतु दी गयी थी। सुंकडी के बदले सेवा पूजा करने का कथन गलत है। कथित जमीन जागीरदार ने एवं ग्रामवासियान ने चारभुजा जी को भेंट की थी किन्तु रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से उन्हे कोई अधिकार नहीं मिलता हैं। सन् 1990 में जो मुआवजा प्रतिवादीगण ने लिया वह मुआवजा प्रतिवादीगण ने गांव वालों को जमा करा दिया गया था एवं वह राशि प्रतिवादीगण ने अपने काम में नही ली हैं। इस कारण वादीगण ने आपत्ति नहीं की। अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी हैं। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को डरा धमकाकर स्वीकारोक्ति का जवाब दिलाये जाने का कथन गलत है। प्रतिवादी संख्या 8, 9 के पक्ष में हुआ बिकावनामा एबइनीशियों वोईड होने के कारण उसे नहीं देखा जा सकता है। कुआ शुरू से ही खुदा हुआ है, प्रतिवादी ने कोई लागत नहीं लगायी हैं। वादीगण का वाद सही होने से उनके पक्ष में डिक्री किया जाना आवश्यक हैं।

42. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी :–

तनकी नम्बर 1 :– क्या वाद पत्र की कलम नम्बर 2 में फिकरा क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियां वादी मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी मौजा आसोलिया की मादडी की खातेदारी की है और वादी प्रतिवादीगण का नाम हटाने तथा वादी के नाम घोषित कराने का अधिकारी हैं। .....वादी

तनकी नम्बर 2 :– क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। .....वादी

तनकी नम्बर 3 :– दादरसी।

तनकी नम्बर 4 :– आया वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात बाबत् वादी के पक्ष में जागीरदार द्वारा पट्टा निष्पादित किया गया। .....वादी

तनकी नम्बर 5 :– आया वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कोई शिलालेख शुरू से ही लगा हुआ हैं। .....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 6 :– आया वादी के प्रतिनिधि श्री गुमानसिंह की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दुश्मनी होने के कारण धर्म की आड लेकर यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं। .....प्रतिवादी संख्या 1 से 5

तनकी नम्बर 7 :– क्या वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी बतौर खातेदार कृषक थी।

.....प्रतिवादी

तनकी नम्बर 8 :– क्या टिनेन्सी एक्ट बनने के पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार है एवं इसका वाद पर क्या असर हैं। ...प्रतिवादी

तनकी नम्बर 9 :– क्या सन् 1990 में उदयपुर चित्तौड रोड नया बनने के समय पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भूमियों का अधिग्रहण किया गया जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ। .....प्रतिवादी

43. वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य है कि वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 सूरजसिंह राजपूत राव, पीडब्ल्यू 2 मेघसिंह राजपूत राव, पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह राजपूत राव, पीडब्ल्यू 4 शंभुसिंह राजपूत राव, पीडब्ल्यू 5 लोगर गमेती, पीडब्ल्यू 6 पन्नालाल सुथार, पीडब्ल्यू 7 मनोहरसिंह राजपूत राव के बयान लिये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 शिलालेख की फोटो, प्रदर्श 2 पट्टा, प्रदर्श 3 विक्रय पत्र बहक भागु बाई, प्रदर्श 4 विक्रय पत्र बहक नारायणसिंह एवं मोहनसिंह, प्रदर्श 5 से 7 जमाबन्दी की नकले, प्रदर्श 8 नाथूदास के गोटीपा खाते की नकल, प्रदर्श 9 एफ.आई.आर. प्रदर्श 10 एवं 11 मेवाड सेटलमेन्ट की खतौनी, प्रदर्श 12 मौका पर्चा पटवारी, प्रदर्श 13 नामान्तरकरण 134, प्रदर्श 14 नामान्तरकरण संख्या 138, प्रदर्श 15 पटवारी हल्का को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 16 नाथूदास का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 17 रिलीज डीड प्रदर्शित करवाये गये।

44. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य है कि प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 लालदास एवं डीडब्ल्यू 2 दौलतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए1 ग्राम पंचायत गोटीपा का प्रमाण पत्र, प्रदर्श ए2 एवं प्रदर्श ए3 खाता संख्या 175 आसोलिया की मादडी की जमाबन्दी, प्रदर्श ए4 मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी, प्रदर्श ए5

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रदर्श ए6 भू प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी, प्रदर्श ए7 पर्चा लगान, प्रदर्श ए8 एवं प्रदर्श ए9 पर्चा नोटिस, प्रदर्श ए10 मेवाड सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी, प्रदर्श ए11 मेवाड सेटलमेन्ट की पानडी, प्रदर्श ए12 से प्रदर्श ए15 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श ए16 एवं प्रदर्श ए17 जमाबन्दी खाता संख्या 175 सम्वत् 2051 से 2054 एवं सम्वत् 2071 से 2074, प्रदर्श ए18 से प्रदर्श ए20 अवाप्ति बाबत पत्रादि, प्रदर्श ए21 एवं प्रदर्श ए22 जमाबन्दी की नकले, प्रदर्श ए23 से प्रदर्श ए 25 भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयां, प्रदर्श ए26 लालदास का परिचय पत्र, प्रदर्श ए27 खाता संख्या 173 की जमाबन्दी, प्रदर्श ए28 से प्रदर्श ए30 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 8 से 10 प्रदर्शित कराये गये।

45. कि तत्पश्चात् दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। तनकी नम्बर 1, 4, 5 में दी जा सकने वाली सहायता बाबत् तथ्य एक दूसरे में अर्न्तनिहित होने के कारण इन तीनो तनकीयात के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 8 से 10 की ओर से निम्न निवेदन है :–

तनकी नम्बर 1 :– क्या वाद पत्र की कलम नम्बर 2 में फिकरा क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियां वादी मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी मौजा आसोलिया की मादडी की खातेदारी की है और वादी प्रतिवादीगण का नाम हटाने तथा वादी के नाम घोषित कराने का अधिकारी हैं। .....वादी

तनकी नम्बर 4 :– आया वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात बाबत् वादी के पक्ष में जागीरदार द्वारा पट्टा निष्पादित किया गया। .....वादी

तनकी नम्बर 5 :– आया वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कोई शिलालेख शुरू से ही लगा हुआ हैं। .....वादी

तनकी नम्बर 1, 4, 5 को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। इस प्रकरण के निर्णय हेतु उक्त तीनों तनकीयात सबसे महत्वपूर्ण तनकीयात है, जिनके बारे में एक साथ निम्नानुसार निवेदन किया जा रहा है :–

(क) वादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने के संबंध में ऐसा कोई भी राजकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो कि वादग्रस्त भूमि कभी मंदिर मूर्ति के नाम रही हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

(ख) वादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने के संबंध में कोई भी ऐसा राजकीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें इस भूमि को डोली अर्थात् मंदिर की भूमि बताया गया हो एवं वादग्रस्त भूमि को डोली से संबोधित किया गया हों।

(ग) कि खसरा गिरदावरियों में पहले कई बार खेतो को नाम से भी दर्शित किया जाता था, वादी पक्ष की ओर से ऐसी कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसमें वादग्रस्त भूमि को डोली बताया गया हों।

(घ) वादी पक्ष वादग्रस्त भूमि को अपने कब्जे में होना बता रहे है जबकि ऐसा कोई भी राजकीय दस्तावेज, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नही की गयी है, जिसमें कब्जा मंदिर मूर्ति चारभुजा जी का बताया गया हो। न ही कोई लगान की रसीद प्रस्तुत की गयी है, जिससे यह विदित हो कि वादीगण ने कब्जा होने के कारण लगान जमा कराया हो।

(ड) अब यदि वादग्रस्त भूमि को वादीगण बहैसियत नैक्स्ट फ्रैन्ड की हैसियत से खातेदारी करवाना चाहते है तो इस संबंध में वादीगण की ओर से मुख्य रूप से दो दस्तावेज प्रदर्श 1 शिलालेख एवं प्रदर्श 2 पट्टा प्रस्तुत किये गये हैं।

(i) **शिलालेख प्रदर्श 1** :– उक्त शिलालेख से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी मूर्ति ठाकुर जी चारभुजा जी की हो अथवा रही हो। क्योंकि उक्त शिलालेख में न तो खेतो के नाम, न आराजी नम्बर, न रकबा दर्शाया गया है तो यह कैसे माना जा सकता है कि शिलालेख वादग्रस्त भूमियों से संबंधित हैं। उक्त शिलालेख को छः सौ वर्षों पुराना बताया गया है किन्तु इस बारे में कोई भी पुख्ता साक्ष्य किसी भी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं करवायी गयी है कि यह शिलालेख छः सौ वर्षों पुराना हो। प्रदर्श 12 पर्चा मौका दिनांक 27.12.1996 में शिलालेख की इबारत इस प्रकार है कि ''श्रीराम जी, श्री रावजी बागाजी तलाई एक रामा ये अर्पण की दी, संवत् 1398. इस इबारत के उपर सूरज एवं चन्द्रमा के निशान तथा नीचे पशु गाय का चित्र बना हैं। अब इस आधार पर यह कैसे माना जा सकता है कि यह शिलालेख वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में है क्योंकि उक्त शिलालेख इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है कि प्रदर्श 12 में यह आराजी नम्बर 827 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्दर लगाया हुआ होना बताया गया है जबकि आराजी नम्बर 827 वादी की कलम संख्या 2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 6, 7 का खेत है एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 वादीगण से मिले हुए होकर उन्होने सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया हैं। इस कारण यह पूर्ण संभावना है कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 ने वादीगण से मिलीभगत के आधार पर इसे वाद प्रस्तुती के पूर्व कुटरचित तैयार कर लगवाया गया हैं। अब यदि इस बारे में वादी की मौखिक साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह की जिरह के पृष्ठ संख्या 4 की लाईन संख्या 10 का अवलोकन किया जावे तो उसमें यह बयान दिया गया है कि इस शिलालेख का उल्लेख पट्टा प्रदर्श 2 में है जबकि प्रदर्श 2 पट्टा (जो अस्पष्ट होकर पूर्ण पठनीय नहीं है) जिसको पढे जाने बाबत इबारत के लिए वादी की ओर से प्रदर्श 2ए प्रस्तुत किया गया है, उसमें कही भी इस शिलालेख के बारे में अंकन नहीं हैं। वास्तव में यदि शिलालेख छः सौ वर्ष पुराना होता तो तथाकथित पट्टा प्रदर्श 2 में इस शिलालेख बाबत् अवश्य अंकन किया जाता। इस शिलालेख के बारे में पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 7 तक किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया है कि यह शिलालेख कब, किसके सामने, किस प्रकार से लगाया गया हैं। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी से अंकित करीब 80 वर्षों से भी अधिक पुराने राजकीय रेकार्ड की भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी से दर्ज कराये जाने बाबत् है तो क्या बिना किसी ऐसे हस्तान्तरण विलेख के वादग्रस्त भूमि को मात्र मंदिर मूर्ति की आड लेकर वादीगण के नाम अंकित किया जा सकता हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि इस प्रकार से किसी भी कुटरचित शिलालेख एवं कुटरचित पट्टो के आधार पर भूमियों का हस्तान्तरण संभव हो तो कोई भी व्यक्ति पुरानी लेखन शैली में ऐसे दस्तावेज तैयार करवाकर किसी भी व्यक्ति के सम्पति के अधिकारों को छीन सकता है जबकि विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के साम्पतिक अधिकार विधि मान्य दस्तावेज के आधार से ही हस्तान्तरित किये जा सकते हैं।

शिलालेख के बारे में गवाह पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह जिरह में आठ बीघा भूमि चारभुजा जी को भेंट करना बताता है, गवाह पीडब्ल्यू 2 मेघसिंह जिरह में पृष्ठ संख्या 4 पर बताता है कि शिलालेख कौन सी आराजी में है व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

क्या इबारत है, उसे पता नहीं हैं। गवाह पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह जिरह में पृष्ठ संख्या 4 पर बताता है कि शिलालेख किस आदमी की जमीन में है, उसे पता नहीं है एवं उसमें क्या इबारत है उसे ज्ञान नहीं हैं। शिलालेख पर कौन सा सम्वत् है यह भी उसे ज्ञान नहीं हैं। गवाह पीडब्ल्यू 4 शम्भुसिंह मुख्य परीक्षा में शिलालेख को गडा हुआ होना बताता है, यदि शिलालेख छः सौ वर्षों पुराना होता तो क्या आज भी मिट्टी में उसी प्रकार से उसका स्थापित होना संभव है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जिरह में यह गवाह शिलालेख कौन सी आराजी नम्बर में गडा हुआ है उसे पता नहीं है, शिलालेख पर गांव वालों ने अधिकारी जी के कहने पर अधिकारी जी के सामने ही रंग करवाया था किन्तु कौन अधिकारी जी थे एवं किस अधिकारी के कहने पर यह रंग करवाया गया है, इस बारे में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। तात्पर्य यह है कि एक पत्थर पर इबारत खुदवायी जाकर वाद प्रस्तुती के ठीक पहले उसे प्रतिवादी संख्या 6, 7 से मिलीभगत कर उसके खेत में लगवा दिया गया है एवं देखने से पुराना प्रतीत नहीं होने के कारण रंग करवाकर यह बहाना बना दिया कि फोटो खींचने के लिए रंग करवाया गया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 लोगर गमेती ने शिलालेख के बारे में कोई गवाह नहीं दी हैं। गवाह पीडब्ल्यू 6 पन्नालाल सुथार जिरह में अंतिम पृष्ठ पर शिलालेख को डोली की आराजी में लगा हुआ होना बताता है, जमीन डोली के नाम से रेकार्ड में होना देखना बताता है, शिलालेख कितना पुराना है वह नहीं बता सकता है जबकि भूमि राजकीय रेकार्ड में कहीं पर भी डोली दर्ज नहीं है तो पन्नालाल सुथार ने कौन सा रेकार्ड देखा, यह एक विचारणीय प्रश्न हैं।

उपरोक्त समस्त गवाहों के मौखिक बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य से किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नहीं होता है कि इस शिलालेख से यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त भूमि को मंदिर चारभुजा जी के लिए दिया गया हो, न ही शिलालेख की इबारत से ऐसा कोई आधार उत्पन्न होता है जिससे कि वादग्रस्त भूमि को वादी के पक्ष में घोषित की जा सकें।

(ii) **पट्टा प्रदर्श 2** :– वादीगण की ओर से पट्टे की जो छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है वह पठनीय नहीं होना मानने से वादीगण ने इसकी इबारत को पढे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

जाने बाबत् प्रदर्श 2ए1 से दर्शाया है। अब यदि प्रदर्श 2ए1 का अवलोकन किया जावे तो उसमें जिन खेतो का नाम बताया गया है, उनकी पुष्टि किसी भी ऐसे दस्तावेज से नहीं करवायी गयी है कि इसमें वर्णित खेतों के नाम वाली भूमि वादग्रस्त आराजीयात हो।

उक्त पट्टे पर न तो पट्टा नम्बर अंकित है, न ही पट्टे पर कोई सील अर्थात् मुद्रा अंकित है जबकि विधि अनुसार जिन जागीरदारों द्वारा पट्टा जारी किया जाता था, उनके लिए उसे आज्ञापक रूप से पट्टा बही में अंकित किया जाना आवश्यक होता था तथा जब जागीरे अधिग्रहित हुई तब उक्त पट्टा बहियों को जागीर कमिश्नर के यहां जमा कराना आवश्यक होता था ताकि पट्टे की वास्तविक औथेन्टीसिटी को सिद्ध कराया जा सके किन्तु हस्तगत प्रकरण में पट्टे को देखने से ही प्रथम दृष्टया यह सिद्ध है कि यह एक कुटरचित दस्तावेज हैं। अब यदि इस पट्टे में जो इबारत अंकित है, उसे प्रदर्श 2ए1 से तुलना की जावे तो समस्त इबारत में काफी फर्क है। प्रदर्श पट्टा 2 में कही पर भी जोधसिंह, सादुलसिंह, राव हमीरसिंह के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि प्रदर्श 2ए1 में इनके हस्ताक्षर होना बताया गया हैं। इसी प्रकार से पट्टा प्रदर्श 2 के अंत में कहीं पर भी ''गुरूवार को यह लिखा पढी की दी जो सही है'' का अंकन नहीं है, किन्तु प्रदर्श 2ए1 में इसे अंकित होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप माननीय न्यायालय प्रदर्श 2 में जो इबारत पठनीय है, उसकी तुलना प्रदर्श 2ए1 से की जावे तो अत्यन्त असमानता है, जिससे पट्टा प्रदर्श 2 किसी भी स्थिति में विश्वसनीय नहीं है एवं यह सिद्ध नहीं करता है कि वादग्रस्त भूमि को इस पट्टे द्वारा चारभुजा जी मंदिर को दी गयी हो। इतना ही नहीं वाद तो मात्र चारभुजा जी मंदिर मूर्ति की ओर से लाया गया है, जबकि प्रदर्श 2ए1 में भूमि को माता जी चावण्डा जी, भदेरिया जी रे मंदिर की डोली, आमेला री पाल पर विराजमान महादेव जी, हनुमान जी, मामादेव जी एवं कराबडिया बावजी को देना बताया गया है तो वादग्रस्त भूमि को वादी **''मूर्ति ठाकुर जी चारभुजा जी गांव सोलियों की मादडी''** के पक्ष में कैसे घोषित किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इस पट्टे को पीडब्ल्यू 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

गुमानसिंह द्वारा कुटरचना से तैयार किया जाना प्रतीत होता है, जिस बारे में आगे स्पष्ट किया जा रहा हैं।

वादीगण की ओर गवाह पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह ने जिरह में बताया कि ''यह सही है कि प्रदर्श 2 पट्टे पर किसी ठिकाने की छाप लगी हुई नहीं है, यह सही है कि प्रदर्श 2 पट्टा कौन से पट्टा बही से जारी हुआ इसके पट्टा बही नम्बर भी नहीं है, प्रदर्श 2 पट्टे का प्रदर्श 2ए1 अनुवाद हिन्दी में किससे कराया, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुमानसिंह ने करवाया था। प्रदर्श 2 पट्टा गुमानसिंह के पास था।'' जब वादीगण के गवाहों के बयान के अनुसार मंदिर बाबत् समिति बनी हुई है तो किस कारण से पट्टा गुमानसिंह के पास था, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जबकि गुमानसिंह के पास यह पट्टा कहां से व क्यों आया, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि पत्रावली पर यह तथ्य भली भांति सिद्ध है कि गुमानसिंह चुनाव में हार गया था एवं प्रतिवादीगण से बोलचाल नहीं थी, से यह सिद्ध होता है कि यह पट्टा कुटरचना से बनाया गया है। गवाह पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह ने जिरह में बताया कि ''गांव लेवल पर समिति गठित कर रखी है, समिति के पास एकाउण्ट व रजिस्टर है'' गवाह पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह ने बयान दिया कि ''कागजात सचिव के पास रहते है, दावा किया उसके पहले कागजात सचिव से नहीं लिये, उसके पास ही है, पट्टा मेरे पास था, जो मेरे कागजो में था, कहां से आया पता नहीं। दावा किया उस समय कागज संभाले, उस समय पट्टा मिला था।'' आगे गुमानसिंह ने यह भी बयान दिया है कि ''मैं यह नहीं बता सकता कि पट्टे में क्या लिखा हुआ है, किस–किस व्यक्ति ने कितनी–कितनी जमीन दी।'' इस गवाह ने आगे बताया कि ''पट्टे का हिन्दी रूपान्तरण हम सबने मावली में कराया था, मावली में किससे कराया था यह मुझे ध्यान नहीं।'' वादीगण की ओर से किसी भी ऐसे व्यक्ति को गवाह में पेश कर यह सिद्ध नहीं किया गया है कि पट्टा प्रदर्श 2 का रूपान्तरण किसने किया हैं। तात्पर्य यह है कि वादीगण के अनुसार जब गांव में एक समिति बनी हुई है, सचिव है, सभी कागजात सचिव के पास रहते है, तो पट्टा प्रदर्श 2 गुमानसिंह के पास क्यों है, यह एक गम्भीर प्रश्न हैं। गुमानसिंह को तो यह तक पता नहीं है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

वह पट्टा उसके पास कहां से आया। यदि यह पट्टा जागीरदार ने दिया होता तो पट्टा किसको दिया गया, इस बारे में वादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे प्रदर्श 2 पट्टे से वादीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकरण में एक महत्वर्पुण बिन्दु यह है कि वाद की कलम संख्या 1 के अंत में यह इबारत आयी है कि ''भूमियों की खडम गांव निवासियों की थी और भोग जागीरदार देह का था, दोनों ने मिलकर यह भूमियां ठाकुर जी को डोलियों के रूप में भेंट की थी।'' से यह तात्पर्य उभर कर आता है कि गांव वालों ने इस भूमि की खडम अर्थात् खातेदारी अधिकार को अर्थात् भौतिक रूप से भूमि को भेंट की थी किन्तु वादीगण की ओर से न तो किसी गवाह ने यह बयान दिया है कि किस–किस व्यक्ति ने कौन–कौन सी आराजी नम्बर की भूमि को वादी मंदिर को भेंट की है, न ही इस बाबत् ऐसा कोई राजकीय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि भेंट की गयी भूमि पूर्व में उस व्यक्ति के नाम दर्ज थी, जिसने भेंट की व उसे भेंट करने का अधिकार प्राप्त था। जहां तक प्रदर्श 2 पट्टा का अवलोकन किया जावे तो पट्टे पर किसी भी खडमदार अर्थात् खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है तथा छः सौ वर्षों पूर्व कौन जागीरदार थे, इसको कहीं नहीं बताया गया है तथा बाद में सम्वत् 1961 में जो तथाकथित पट्टा प्रदर्श 2 तैयार किया गया है, उसमें कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले जागीरदार कौन थे एवं बाद में सम्वत् 1961 में जागीरदार कौन थे, यह भी कहीं स्पष्ट नहीं है कि सम्वत् 1961 में सबलसिंह को पट्टा जारी करने के अधिकार भी थे अथवा नहीं। यदि वास्तव में यह पट्टा जागीरदार द्वारा जारी किया जाता तो मेवाड गवर्नमेन्ट में ऐसे पट्टो को पट्टा रजिस्टर में अंकित किया जाना आवश्यक था।

इस बारे में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निम्नांकित दृष्टान्त में यह व्यवस्था दी हुई है कि यदि कोई पट्टा सादे कागज पर बिना किसी स्टाम्प पर है एवं उस पर कोई सील लगी हुई नहीं है एवं कोई पट्टा रजिस्टर नहीं बताया गया है, न ही पट्टा लेखक के द्वारा उसे सिद्ध करवाया गया है, तो ऐसे पट्टे को वादीगण के कब्जे में रहने के बावजूद भी न तो देखा जा सकता है, न ही उसके आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

1980 आर.आर.डी. पेज 766 मनोहरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

Raj. Tenancy Act, Secs. 88 & 188 - Suit, based on unstamped patta, written on plain paper and without bearing any seal – Admissibility - No Patta register, presented to show that it was entered therein at time of its issue - Under Mewar Stamp Law such Patta, not necessarily to be stamped or regd. but its authenticity to be established Patta could not be held to be authentic though scribe, produeed in evidence along with other witnesses to establish its execution No effort, made for production of Patta register, in possession of State - Even in RRD 1974 NUC 89 continuous possession as tenant, considered necessery to establish right ot declaration Ptff., not in possession of suit land - Ptff., not acquired any right of tenant entitling him for declaration u/s 88 His rights could be inrelation to Jagirdar who granted Patta and be should have should have sought remedy under Jagir Act – Suit, rightly dismissed by lower court.

किसी भी दस्तावेज के उपर मात्र प्रदर्श लगा देने से उसे सिद्ध नहीं माना जायेगा।

ए.आई.आर 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 1865

सेठ ताराजी खीमचन्द बनाम येलामैत्री सत्यम

Civil P.C. (1908), Order 13, R. 4 – Mere marking of a document as an exhibit does not dispense with its proof.

ए.आई.आर 1989 इलाहाबाद पेज 130

भैयालाल बनाम रामदीन

The mere fact that the document had been exhibited it does not follow that the Court stands precluded from examining the question on the basis of the evidence led by the parties whether the document in question was exempted by the party by which it purport to have been executed. The fact that document is exhibited only establishes that it has been.

इस हस्तगत प्रकरण में भी वादी पक्ष की ओर से पट्टा प्रदर्श 2 को मात्र प्रदर्शित करवाया है किन्तु न तो लेखक द्वारा, न ही इबारत रूपान्तरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

वाले व्यक्ति द्वारा, न ही पट्टा बही द्वारा, न ही किसी अन्य साक्ष्य से इसे साबित करवाया गया हैं।

वादीगण की ओर से ऐसे किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसने यह बताया हो कि उसके पूर्वजों की भूमि अर्थात् खडम को चारभुजा जी मंदिर को दिया गया हो।

इस मामले में पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह, पीडब्ल्यू 2 मेघसिंह, पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह, पीडब्ल्यू 7 मनोहरसिंह स्वयं वादीगण होकर एक ही जाति समाज के होकर हितबद्ध गवाह है तथा गवाह पीडब्ल्यू 5 लोगर गमेती एवं पीडब्ल्यू 6 पन्नालाल सुथार स्वतन्त्र गवाह हैं। गवाह पीडब्ल्यू 5 लोगर गमेती के अनुसार जिरह में अंतिम पृष्ठ पर उसने बताया कि ''यह सही है कि चारभुजा जी का मन्दिर 30–40 साल पहले बनाया था, मंदिर बनाया उसमें मेरे पिताजी ने भी चन्दा दिया था। उससे पहले यहां मंदिर नहीं था।'' इस गवाह के अनुसार जब 40 साल पहले कोई मंदिर ही नहीं था तो गांव वालो द्वारा खडम व जागीरदार द्वारा भोग दिया जाना व पट्टा निष्पादित किये जाने का प्रश्न ही कहां उत्पन्न होता हैं। गवाह पीडब्ल्यू 6 पन्नालाल सुथार ने जिरह में बताया कि ''ठाकुर जी के मन्दिर की समिति बनी हुई है, इस समिति के पदाधिकारी कौन–कौन है, नाम मुझे पता नहीं। यह सही है कि इस भूमि का रेकार्ड शुरू से गांव वालो के पास रहता है, समिति में अभी मनोहरसिंह पिता गुलाबसिंह के पास रेकार्ड हैं। मनोहरसिंह के पास रेकार्ड 20 साल से है।'' जबकि इस मामले में मनोहरसिंह पिता गुलाबसिंह को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर बाबत् यदि कोई रेकार्ड है, जो समिति के पास है, किन्तु ऐसा कोई भी रेकार्ड वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि वादी चारभुजा जी मंदिर की हो।

इस प्रकरण में वादीगण का यह कथन कि प्रदर्श 2 पट्टा 30 वर्ष से अधिक पुराना हैं। अतः उसे धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् सत्य माना जाना चाहिए, गलत कथन है, क्योंकि प्रदर्श 2 पट्टा को किसी भी तरह से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कराया गया है, न ही

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

इससे सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अकाउन्ट बुक्स, रसीदें आदि प्रस्तुत की गयी है, इस कारण हस्तगत पट्टे सही होने बाबत् माननीय न्यायालय कोई भी अवधारणा नहीं ले सकता हैं। जो निम्न न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है :–

ए.आई.आर 1984 उडीसा पेज 88

गौरीशंकर कौर बनाम स्टेट ऑफ उडीसा

Compensation for land acquisition – Enhancement sought on fround that improvements has been made on land – Agreement purported to have been entered into for improving land, and account book showing expenditure on improvements, produced in evidence – Documents said to be over 30 years old – None of the labourers, recorded to have been engaged for improvements, examined as witnesses for claimant – Further, no accounts of income, which should have inereased due to improvements, produced – Held, documents could not be relied on – S. 90 of Evidence Act says that court may presume and does not say that it must presume – Claim for higher compensation dismissed.

अतः उपरोक्त समस्त कारणों से पट्टा प्रदर्श 2 ऐसा दस्तावेज नहीं है कि जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण के खातेदारी से हटाकर वादीगण के पक्ष में घोषित की जा सकें।

(च) वादग्रस्त भूमि को गांव वालों ने मंदिर को दान अथवा किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की हो इस बाबत् वादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

(छ) स्वयं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5, 6 जमाबन्दियों में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों से चली आ रही है एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए4 जो कि सम्वत् 2001 अर्थात् 81 वर्ष पूर्व की मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी है, प्रदर्श ए5 से प्रदर्श ए11 तक की जमाबन्दियों, पर्चा खतौनी, सेटलमेन्ट की पानडी आदि सभी दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी हक से चली आ रही है तो यह कैसे माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी वादी चारभुजा जी मन्दिर के पक्ष में रही हो। यहां यह भी अत्यन्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

ध्यान देने योग्य बात है कि यदि यह भूमि गांव वालो ने व जागीरदार ने मंदिर को दी होती तो सन् 1971 से सन् 1991 के मध्य जब पैमाईश हुई तो इस भूमि को गांव वालों ने मंदिर के नाम क्यों नहीं दर्ज करायी एवं यदि गांव वालों का कब्जा था तो पैमाईश वालों ने इस बाबत फर्द इख्तलाफ बनाकर मंदिर के नाम दर्ज क्यों नहीं की।

(ज) जहां तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न है, तो स्वयं वादीगण के गवाह पीडब्ल्यू 2 मेघसिंह ने अपनी जिरह में कब्जा प्रतिवादीगण का बताया है, यद्यपि इसे सेवा पूजा के बदले में होना बताया हैं।

(झ) यदि वादग्रस्त भूमि वादीगण की होती तो जब वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अधिग्रहित की गयी तो उसका मुआवजा वादीगण को क्यों नहीं अदा किया गया एवं तत्समय जब मुआवजा प्रतिवादीगण को दिया गया तो वादीगण ने आपत्ति क्यों नहीं की। अब मात्र यह कह देना कि मुआवजे की राशि प्रतिवादीगण ने वादी को अदा कर दी थी, ऐसा कथन बिना किसी साक्ष्य से कैसे माना जा सकता है, न ही इस बाबत् कोई पुख्ता साक्ष्य हैं।

उपरोक्त विस्तृत निवेदन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तनकी संख्या 1, 4 एवं 5 को सिद्ध कराने में वादीगण पूर्णतया विफल रहे है, जिससे वादग्रस्त भूमि को वादी मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी आसोलिया की मादडी के पक्ष में खातेदारी की घोषणा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है, न ही मूर्ति मंदिर एवं धर्म को आधार बनाकर प्रतिवादीगण के साम्पत्तिक अधिकारों को छीना जा सकता हैं।

इस प्रकरण में जब वादी पक्ष की बहस सम्पूर्ण हो चुकी थी एवं प्रकरण प्रतिवादीगण की बहस के लिए नियत था किन्तु उसके पहले वादी पक्ष की ओर से अचानक ही कुछ दस्तावेज प्रदर्श 13 से प्रदर्श 17 तक के प्रस्तुत किये जाकर यह भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया कि नाथूदास के पिता का नाम जालमदास नहीं होकर भगवानदास है एवं नाथूदास मादडी का निवासी नहीं होकर गोटीपा का निवासी हैं। ये समस्त दस्तावेज वादीगण ने प्रदर्श 17 के हकत्याग ग्रहिता जगदीशदास से मिली भगत के आधार पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

बनवाये है, अन्यथा नाथूदास की मृत्यु तो सन् 1991 अर्थात् आज से करीब 34 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तो अब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर तत्काल ही हकत्याग करवाने की क्या आवश्यकता पडी। किन्तु जब वादीगण को यह ज्ञात है कि उन्हे वाद में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल सकती है तो उन्होने मिलीभगत के आधार पर इस प्रकार के दस्तावेजो की रचना करवायी। चूंकि लालदास अत्यन्त वृद्ध होकर 90 वर्ष का व्यक्ति है, उसे एवं उसके भाईयों को बहला फुसलाकर जगदीशदास उसके हक में हक त्याग करवाना बताने के लिए ले गया एवं इस प्रकार के दस्तावेजों की रचना करवायी। अब आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रदर्श ए4, प्रदर्श ए5, प्रदर्श ए6, प्रदर्श ए7, प्रदर्श ए28 विवाद रहित दस्तावेज होकर सभी सिद्ध दस्तावेज है एवं सभी दस्तावेजों को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध करवाया गया है एवं ये सभी दस्तावेजात 30 वर्षों से अधिक पुराने है, इस कारण अंतिम स्तर पर भ्रम पैदा करने हेतु जो दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रदर्श 13 से 17 तक प्रस्तुत किये गये है, वे मिलीभगत के आधार पर कुटरचित दस्तावेज होना सिद्ध हैं। इस बारे में प्रतिवादीगण की ओर से सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाई जाकर फौजदारी कार्यवाही अलग से की जाने बाबत् प्रक्रियाधीन हैं।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 एवं प्रदर्श 6 एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए2, ए3, ए16, ए17 में वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अपने सम्पूर्ण विधिक अधिकारों सहित जो भूमि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया गया है, जिसमें वादीगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है एवं क्रय की गयी भूमि को प्रतिवादी संख्या 8 से 10 समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम अंकित करवाने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर 6 :– आया वादी के प्रतिनिधि श्री गुमानसिंह की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दुश्मनी होने के कारण धर्म की आड लेकर यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं।

.....प्रतिवादी संख्या 1 से 5

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पर हैं। इस बारे में गवाह पीडब्ल्यू 1 सूरजसिंह ने अपनी जिरह के पृष्ठ संख्या 4 पर यह बयान दिया है कि ''गुमानसिंह सरपंच के लिए खडे हुए थे, यह बात सही हैं। गुमानसिंह जी चुनाव हार गये थे। यह सही है कि गुमानसिंह व लालदास के बीच कोई बोल चाल नहीं थी।'' गवाह पीडब्ल्यू 2 मेघसिंह ने अपनी जिरह में बताया है कि ''यह सही है कि यह दावा किया उन्ही दिनों गुमानसिंह जी सरपंच का चुनाव लडे थे जो हार गये थे।'' गवाह पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह ने अपनी जिरह में बताया कि ''दावा किया उसके पहले वाले चुनाव में सरपंच के लिए मैं चुनाव लडा था और वो चुनाव मैं हार गया था, यह बात सही हैं।'' गवाह पीडब्ल्यू 4 शम्भुसिंह ने अपनी जिरह में बताया कि ''गुमानसिंह जी हमारे यहां सरपंच का चुनाव लडे थे और हार गये थे।'' गवाह पीडब्ल्यू 6 पन्नालाल सुथार ने जिरह में बताया कि ''यह सही है कि गांव में गुमानसिंह जी सरपंच का चुनाव लडे थे जो हार गये थे। मुझे पता नहीं कि गुमानसिंह व लालदास जी के बीच विवाद हुआ है या नहीं।''

वादीगण के उपरोक्त बयानों से यह बात उभर कर आती है कि वाद प्रस्तुती के ठीक पूर्व ही गवाह पीडब्ल्यू 3 गुमानसिंह सरपंच का चुनाव लडा था एवं हार गया था, चूंकि तत्समय प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 8 से 10 गुमानसिंह के खिलाफ थे, इसी रंजिश से तुरन्त बाद यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादी संख्या 1 से 5 सभी एक ही परिवार के होकर इनके पूर्वज एक ही हैं। इस बात को भी गवाह पीडब्ल्यू 4 शंभुसिंह ने अपनी जिरह में इस तरह से स्वीकार किया है कि ''यह सही है कि गुमानसिंह, सुरजसिंह, मनोहरसिंह, मेघसिंह, पनसिंह व मेरे पूर्वज एक ही हैं।'' तात्पर्य यह है कि यदि वास्तव में उक्त भूमि मंदिर की होती तो वादीगण इतने वर्षों तक चुप नहीं बैठे रहते एवं वाद में गांव के अन्य जाति के व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाते, किन्तु चुनाव में गुमानसिंह के हार जाने के कारण ही यह वाद प्रस्तुत किया गया हैं। यद्यपि इस बारे में गवाह डीडब्ल्यू 1 लालदास ने कुछ स्थान पर जिरह में विपरीत कथन कर दिया है किन्तु गवाह 90 वर्ष का होकर काफी वृद्ध है, जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि गुमानसिंह एवं प्रतिवादीगण के मध्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

दुश्मनी नहीं हो। इस बारे में गवाह डीडब्ल्यू 2 दौलतसिंह ने जिरह में बताया है कि ''यह कहना सही है कि गुमानसिंह जी मेरे खिलाफ थे, इसलिए यह दावा करवाया हैं। चुनाव में मैं उनके खिलाफ था इसलिए वह मेरे से नाराज थे।'' स्वयं वादीगण की ओर से जिरह में इस कथन को सुझाव के रूप में गुमानसिंह जी से खिलाफत होने के बारे में पूछा गया है, जिसको गवाह ने सही होना बताया है, से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रंजिश थी। जिससे इस तनकी को प्रतिवादी पक्ष द्वारा भली भांति सिद्ध करवाया गया हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह डीडब्ल्यू 1 लालदास के कहने मात्र से वादीगण अपने दायित्व को पूरा करने से नहीं बच सकते है, क्योंकि वादीगण को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है, जो निम्न न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है :–

ए.आई.आर 1952 ट्रावनकोर–कोचीन 185

वैलुम्पी कोच्चूपैनू बनाम शंकरन कृष्णन

when upon the evidence adduced by the plaintiff, he has not merely not discharged the onus that was upon him, but has positively disproved his case, there is no need for the defendants to adduce any evidence on their side.

तनकी नम्बर 7 :– क्या वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी बतौर खातेदार कृषक थी।

.......प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। इस तनकी के विरोध में वादीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि वादग्रस्त भूमियां मेवाड़ सेटलमेन्ट के वक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास नहीं रही हो। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए.4 मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर वाद की कलम संख्या 2 के अनुसार दर्ज है। यह इन्द्राज प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

पैमाईश संवत 2001 में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम तदनुसार खातेदारी हक से दर्ज है। यदि यह भूमि मंदिर से सम्बन्धित होती तो खेतों के नाम के स्थान पर डोली शब्द अथवा मंदिर बाबत अवश्य कोई न कोई हवाला होता। प्रदर्श ए.10 में भी मेवाड़ सेटलमेन्ट में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वज नाथूदास के नाम बताया गया है एवं इसी तथ्य की पुष्टि प्रदर्श ए.11 सेटलमेन्ट की पानडी से भी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास थी। जिससे यह तनकी प्रतिवादीपक्ष की ओर से पूर्णतया सिद्ध करवायी गई है।

तनकी नम्बर 8 :– क्या टिनेन्सी एक्ट बनने के पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार है एवं इसका वाद पर क्या असर हैं। ...प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी संख्या 7 के बारे में किये गये निवेदन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय ही प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खातेदारी एवं कब्जे की थी। चूंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट राजस्थान में दिनांक 15–10–1955 को लागू हुआ है एवं उक्त एक्ट में धारा 46के अनुसार मंदिर मूर्ति को नाबालिग माना जाकर मंदिर की भूमि को अहस्तान्तरणीय माना गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमियां न तो कभी भी मंदिर मूर्ति के खुद काश्त की भूमियां रही है, न ही वादग्रस्त भूमियों बाबत मंदिर कभी भी भोग प्राप्त करने का अधिकारी रहा है, न ही वादग्रस्त भूमियों का वादी मंदिर से कोई सम्बन्ध है। इस कारण वादग्रस्त भूमियां टिनेन्सी एक्ट बनने के पूर्व ही मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त से ही प्रतिवादी पक्ष की होने से वादीगण को धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में यह वाद लाने का अधिकार नहीं है। जिससे तनकी संख्या 8 के निर्णयानुसार वादीगण का वाद चलने योग्यउ नहीं है एवं यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में भली–भांति सिद्ध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 9 :– क्या सन् 1990 में उदयपुर चित्तौड रोड नया बनने के समय पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भूमियों का अधिग्रहण किया गया जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ। .....प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। स्वयं वादीगण ने अपने बयानों में कई जगह इस बात को स्वीकार किया है कि जब पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त की गयी थी, उसका मुआवजा प्रतिवादीगण द्वारा उठाया गया है। इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श ए.18 से प्रदर्श ए.20 तक जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में से आराजी नंबर 822 की 5 बिस्वा बाबत प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में एवं आराजी नंबर 823 की 10 बिस्वा भूमि बाबत जो अवार्ड प्रदर्श ए 20 बना है, वह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में बनाया गया है एवं प्रदर्श ए 18 से ए 20 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों में से जो–जो भी भूमि अवाप्त हुई है, उसका मुआवजा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को ही अदा किया गया है। जिससे यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में भली–भांति सिद्ध है।

उपरोक्त तनकियों के बारे में निवेदन करने के पश्चात् इस प्रकरण में वादीगण की ओर से दौराने बहस यह आपत्ति उठायी गयी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता श्री नाथूदास जी आसोलियों की मादडी के निवासी नहीं होकर ग्राम गोटीपा के रहने वाले हैं। इस बाबत निवेदन है कि वाद में स्वयं वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को पक्षकारों में प्रतिवादी के स्थान पर आसोलियों की मादड़ी का निवासियान होना बताया है तथा प्रदर्श ए. 4 मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में भी उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास को साकिन देह अर्थात आसोलियों की मादड़ी का निवासी होना बताया गया है। वादीगण की ओर से पहले से फर्जी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोटीपा से बनवाया जाकर यह प्रयास किया गया है कि यह बताया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता गोटीपा के रहने वाले हैं। जब इस प्रकार का प्रमाण पत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया तो इस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर ग्राम पंचायत गोटीपा में आपत्ति की गयी तो उन्होंने प्रदर्श ए1

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि नाथूदास पिता जालमदास मादडी के रहने वाले हैं। वादीगण द्वारा जो फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तु त किया गया था उसे जानबूझकर वादीगण ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया। चूकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता नाथूदास पिता जालमदास वैरागी ने सन 1969 में प्रदर्श ए28 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम राणाकुई में भूमि क्रय की थी, जो राजस्व अभिलेखों में नाथूदास के नाम अंकित हुई थी, मात्र इसी कारण से सहवन से नाथूदास को गोटापा का निवासी होना बताकर वादीगण ने प्रमाण पत्र जारी करवा लिया था। यदि विक्रय पत्र प्रदर्श ए28 जो कि सन 1959 का होकर वाद प्रस्तुती से करीब 37 वर्षो पुराना है, का अवलोकन किया जावे तो उसमें भी स्पष्ट रूप से नाथूदास पिता जालमदास वैरागी निवासी मादडी अंकित है, इससे स्पष्ट है कि उंकारदास एवं नाथूदास के पिता का नाम जालमदास को लाऔलाद बताकर वाद में एक झूठी कहानी को गढ़ा गया, जबकि संवत 2001 की पैमाईश में प्रदर्श ए4 में स्पष्टतया उंकारदास, नाथूदास के पिता को जालमदास बता रखा हैं। अब चूंकि वादीगण ने वाद प्रस्तुती के पहले प्रतिवादी संख्या 6, 7 को यह लालच दिया कि वे समस्त वादग्रस्त भूमि को उसे दे देंगे अन्यथा उसे गांव से निकाल देंगे, इसी लालच एवं धमकी के कारण प्रतिवादी संख्या 6, 7 ने वास्तविक एवं सत्य तथ्यों के विपरीत वादीगण के वाद को स्वीकार कर लिया।

यहां महत्वपूर्ण रूप से यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा पत्रावली पर जो सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्णित तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 न स्वयं को साक्ष्य में प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं करवाया गया है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावें को न तो साक्ष्य में देखा जा सकता है, न ही उस पर विश्वास किया जा सकता हैं। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 जीवित है तो उन्होंने क्यों आप माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य नहीं दी। तात्पर्य यह है कि उनकी ओर से प्रस्तुत जवाबदावा लालच एवं धमकी के कारण वादीगण द्वारा दिलवाया गया हैं। इस कारण यदि वे साक्ष्य में उपस्थित होते तो जिरह में उसकी सारी पोल खुल जाती।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 2 :– क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं। ....वादी

चूंकि इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। चूंकि तनकी संख्या 1, 4, 5 वादीगण के विरूद्व सिद्ध होने से एवं तनकी नम्बर 6 से 9 प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य होने के कारण वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के विरूद्व किया जाना आवश्यक हैं।

हस्तगत वाद वादीगण द्वारा बिना किसी अधिकारों के रंजिशवश प्रतिवादीगण को जलील एवं परेशान करने हेतु सन् 1996 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण गत 29 वर्षों से विचारण भुगत रहे हैं। इस कारण हस्तगत वाद को भारी हर्जे–खर्चे के साथ निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अन्त में निवेदन किया कि वाद को विशेष हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

46. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है कि :–

1. **क्या वादपत्र की कलम नम्बर 2 में परिशिष्ठ क, ख, ग, घ में वर्णित भूमियां वादी मूर्ति ठाकुर जी श्री चारभुजा जी मौजा आसोलिया की मादडी की खातेदारी की है और वादी प्रतिवादीगण का नाम हटाने तथा वादी के नाम घोषित कराने का अधिकारी हैं।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी ने इसके समर्थन में मौके पर शिलालेख लगा होना बताया तथा जिसके संबंध में मौके का फोटोग्राफ्स प्रदर्श 1 पेश किया। साथ ही मेवाड़ रियासत का 1904 का एक दस्तावेज जो प्रदर्श 2 ए है। जिसके संबंध में वाद पत्र में पटटा बताया गया एवं ग्रामवासियो द्वारा भूमि ठाकुरजी को भेंट करना बताया। इसके साथ इन्होंने शिलालेख पर जो अंकित किया उसका लिखित बहस में अनुवाद के रूप में बताया की यह श्री राव बागा जी तलाई एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

रामार्पण को दी, जो 1398 ई. का जो आज से लगभग 684 साल पहले का है। वादी ने इस तनकी के समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्श करवाए, उनका न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय का यहां अभिमत है कि जागीर रियासत के समय मन्दिर को दी जाने वाली भूमि तत्कालीन राजा/महाराणा/जागीरदार के समय तत्कालीन राजा/महाराणा /जागीरदार की अनुमति से उस समय के राजस्व अधिकारियो के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप पत्र में काश्तकार, मन्दिर इत्यादी को भूमि दान/आवंटन/भेंट की जाती थी एवं उसका उल्लेख उस समय के तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा अंकन किया जाता था। जिसका बाद में जागीर रियासत के उन्मूलन के बाद उनके रिकॉर्ड के आधार पर भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रथम जमाबंदी तैयार की गई। जो संवत 2001 मे तैयार की गई थी। उक्त वाद में वादीगण वाद मित्र के रूप में ग्रामवासीयों की ओर से श्री सूरतसिंह वगैरह ने अपने वाद के समर्थन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिससे यह प्रमाणित हो की जागीर रियासत के समय यह भूमि मंदिर माफी या ठाकूरजी श्री चारभूजा के नाम दर्ज थी। वादी ने अपने बहस में बताए दस्तावेज जिसमें उन्होंने बताया की यह तत्कालीन समस्त ग्रामवासियान द्वारा मन्दिर को भेंट की गई भूमि का दस्तावेज जो प्रदर्श 2 ए है। इस दस्तावेज को वाद पत्र में पट्टा बताया गया है। जिसका अवलोकन करने से उक्त दस्तावेज अंपजिकृत है। जिसमें ना तो कोई पट्टा नम्बर अंकित है ना ही कोई सील/मोहर मुद्रित है। रिसासतकाल के समय पट्टा जारी करने के लिए उक्त पट्टे को पट्टे बही में अंकित किया जाना आवश्यक था। साथ ही ग्रामवासियान द्वारा अपने वादपत्र/बहस/दस्तावेज से यह कही भी स्पष्ट नही किया गया कि उक्त भूमि को ग्रामवासीयो के नाम दर्ज थी या नही? तथा उनको दान करने का अधिकार था या नही? क्योंकि नियमो में वर्णित प्रावधानो के तहत किसी भूमि का दान उस भूमि के खातेदार को ही करने का अधिकार है। इस कारण से उक्त दस्तावेज से पूर्व वादीगण को यह साबित करवाना आवश्यक था कि उक्त भूमि जिनके द्वारा दान की गई उनके नाम दर्ज थी या नही?

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के अतिरिक्त कभी अन्य किसी ग्रामवासी की खातेदारी रही हो। **प्रदर्श 2 ए दस्तावेज पढने एवं समझने से यह कही प्रतीत नही होता है कि यह दस्तावेज किसी राजकीय या तत्कालीन जागीरदार/महाराणा द्वारा लिखा गया हो।** साथ ही उक्त दस्तावेज मे आराजियात का भी वर्णन नही किया गया है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि में शिलालेख 600 वर्ष पुराना लगा होना बताया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी भी भूमि पर शिलालेख लगा देने से शिलालेख के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते है। साथ ही वादीगण द्वारा पेश किए गवाह केवल मात्र शिलालेख पर क्या लिखा गया है इस संबंध में बताया गया हैं अर्थात गवाहो से यह साबित नही होता है कि उक्त शिलालेख कब लगाया गया। अतः शिलालेख या गांव द्वारा लिखापढी या गांव वालो ने मिलकर किसी भूमि को मन्दिर को भेंट करना इस मौखिक एवं अप्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर कोई अभिलेखित खातेदार जो प्रथम भू–प्रबंध से खातेदार है के खातेदारी अधिकार नही समाप्त किये जा सकते है। न्यायालय का यह भी मानना है कि यदि कोई अपंजीकृत दस्तावेज प्रदर्श कर दिया जाता है तो उसका यह आशय नही है कि उक्त दस्तावेज वैधानिक दस्तावेज हो गया। उस दस्तावेज के संबंध संबंधित पक्षकार को गवाहो एवं साक्ष्यो द्वारा यह साबित कराना आवश्यक है कि यह दस्तावेज वैधानिक है परन्तु इस प्रकरण में वादीगण द्वारा उक्त संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त दस्तावेज वैधानिक दस्तावेज है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है कि :–

1980 आरआरडी पेज नम्बर 766

(a) Raj. Tenancy Act, Secs. 88 & 89-Suit, based on unstamped patta, written on plain paper and without bearing any seal-Admissibility -No Patta register, presented to show that it was entered therein at time of its issue-Under Mewar Stamp Law such Patta, not necessary to be stamped or registerd.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

but its authenticity to be established-Patta could not be held to be authentic though scribe, produced in evidence alongwith other witnesses to establish its execution-No effort, made for production of Patta register, in possession of State-Even in RRD 1974 NUC 89 continuous possession as tenant, considered necessary to establish right of declaration-Plantiff., not in possession of suit land-Ptff. not acquired any right of tenant entitling him for declaration u/s 88-His rights could be in relation to Jagirdar who granted Patta and he should have sought remedy under Jagir Act-Suit, rightly dismissed by lower courts. (Paras 8 to 11)

उक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि वादीगण को उक्त पट्टा/भेंट पत्र की प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध करवानी पड़ेगी परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/गवाह पेश नही किया, जिससे उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता साबित होती हो।

वादीगण द्वारा लिखित बहस में यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 जो वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है उनके द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर यह माना गया है कि उक्त भूमि मंदिर की भूमि है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि ही मंदिर की है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी भी सहखातेदार के केवल मात्र वाद स्वीकार लेने से उस भूमि के सभी सहखातेदारो की भूमि वादीगण के नाम नही की जा सकती है। यदि प्रतिवादी संख्या 6, 7 उक्त भूमि को मंदिर की होना बता रहे है तो उनको भी यह साबित करवाना होगा की उक्त भूमि किस कारण से मंदिर की है। इस प्रकार केवल मात्र सहखातेदार के कह देने से अन्य सहखातेदारो के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है।

प्रदर्श ए4 ग्राम मादड़ी सोलियान जागीर जमाबंदी मेवाड़ सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट संवत 2001 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि नाथुदास वल्द जालमदास वैरागी के नाम दर्ज थी। इससे पूर्व का दस्तावेज उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। **अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

2. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तनकी संख्या 1 क्या वादग्रस्त भूमि में वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है को वादीगण के विरूद्ध साबित किया गया है। ऐसे में जब वादीगण उक्त भूमि के खातेदार ही नही है तो खातेदार के विरूद्ध वादीगण कैसे स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा सकते है। न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नही होने से खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नही है। **अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।**

3. दादरसी।

उक्त तनकी के संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि इस तनकी के पश्चात और तनकीयात कायम की जा चुकी है अतः निष्कर्ष सभी तनकीयात का निस्तारण किए जाने के पश्चात अंकित किया जावेगा।

4. आया वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात बाबत् वादी के पक्ष में जागीरदार द्वारा पट्टा निष्पादित किया गया।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। हमने वादीगण द्वारा प्रदर्श 2ए जो उन्होने वादपत्र में पट्टा बताया जबकि लिखित बहस में उन्होने भेंटपत्र बताया। न्यायालय द्वारा वाद में प्रदर्शित सभी दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजो में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर वादीगण अपना वाद सिद्ध कराना चाहते है वह प्रदर्श 2 ए है। न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज का पठन किया गया। उक्त दस्तावेज में कही भी तत्कालीन जागीरदार/महाराणा/रियासतदार के द्वारा दिया जाना प्रतीत नही होता है। उक्त पट्टे/भेंट में ना तो पट्टा नम्बर अंकित है, ना ही सील मुद्रित है, ना ही वादीगण द्वारा पट्टा बही/मिसल पेश की गई है। जागीरदारें अधिकृत हुई तब उन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा बहियो को जागीर कमिश्नर के पास जमा करवाना था तथा जागीर कमिश्नर द्वारा प्रदत रिकॉर्ड के आधार पर भू–प्रबंध के दौरान प्रथम जमाबंदी बनाई गई। यदि उक्त पट्टा होता तो अवश्य ही वादीगण का नाम प्रथम जमाबंदी में अंकित होता क्योंकि राजस्थान में जागीर रियासत के उन्मूलन के बाद जो जागीर के समय मन्दिर के नाम दर्ज भूमि थी उन सभी भूमियो को वक्त प्रथम भू–प्रबंध के समय बने प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में दर्ज किया गया है। उक्त वादवर्णित प्रकरण में वादी द्वारा बताया गया की उनको सन् 1904 में समस्त ग्रामवासियों द्वारा उक्त भूमि को मन्दिर को भेंट/पट्टा दिया गया। जिसका जागीर कमिश्नर के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही है। अतः उक्त पट्टे/भेंट के संबंध में कोई वैधानिक प्रमाणिकता नही है। प्रतिवादीगण के मौरूस प्रथम जमाबंदी से ही राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार थे उनके पश्चात उनके वारीस वादग्रस्त भूमि के खातेदार है। अतः उक्त दस्तावेज को वैधानिक पट्टा/भेंट नही माना जा सकता है। वैसे भी वादीगण स्वयं ही लिखित बहस में यह स्वीकार कर चुके है कि उक्त दस्तावेज पट्टा नही होकर ग्रामवासियों द्वारा दी गई भूमि का भेंट पत्र है। यदि भेंट पत्र है तो वादीगण को यह साबित करवाना होगा की उक्त भेंट किसके द्वारा की गई। वह उस भूमि का खातेदार है या नही? यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिस भेंट पत्र का कथन वादीगण द्वारा वाद पत्र में किया गया है उसमें समस्त ग्रामवासी द्वारा मंदीर को वादग्रस्त भूमि भेंट करना बताया गया है परन्तु इसकी कोई वैधानिकता नही है। इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। तथा ना ही वाद में कोई कथन किया। **उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।**

5. आया वादग्रस्त आराजीयात बाबत् कोई शिलालेख शुरू से ही लगा हुआ हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादीगण द्वारा इस संबंध में गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहो द्वारा केवल मात्र इसके उपर लिखे गए कथन का विवरण किया गया। ऐसा कोई गवाह वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके की उक्त शिलालेख

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

कब लगाया गया। वैसे भी किसी भूमि में शिलालेख लगा देने से वह उस भूमि का शिलालेख के आधार पर खातेदार नही होता है। **अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक साबित की जाती है।**

6. **आया वादी के प्रतिनिधि श्री गुमानसिंह की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दुश्मनी होने के कारण धर्म की आड लेकर यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया हैं।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि गवाह पी.डब्ल्यू 1 द्वारा जिरह में यह तो स्वीकार किया गया है कि गुमानसिंह एवं लालदास के बीच बोलचाल नही थी परन्तु उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उनके बीच कोई झगड़ा भी नही था। अर्थात उक्त तनकी के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद गुमानसिंह की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दुश्मनी होने के कारण किया गया हो। वैसे भी प्रकरण में वाद मित्र केवल मात्र अकेला गुमानसिंह नही होकर अन्य ग्रामीण भी है तथा वाद पत्र काफी पुराना होने से उसके पश्चात भी वादमित्र और भी बन चुके है। इस प्रकार वाद पत्र के पठन से यह कहना संभव नही है कि उक्त वाद दुश्मनी होने के कारण किया गया हो। **अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।**

7. **क्या वादग्रस्त भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं पितामह के पास मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त भी बतौर खातेदार कृषक थी।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए4 मेवाड़ सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट की जमाबंदी ग्राम मादड़ी सोलियान जागीर संवत 2001 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 427, 429, 432, 433 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि उंकारदास वल्द जालमदास वैरागी सा.देह के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 164, 426, 431, 435, 438 कुल किता 5 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास वैरागी सा.देह के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 428, 430, 434 517/1 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नाथूदास वल्द जालमदास वैरागी के नाम दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट के दस्तावेज प्रदर्श ए 5 भू–प्रबंध विभाग का पर्चा लगान, प्रदर्श ए 6 पर्चा खतौनी, प्रदर्श ए 7 पर्चा लगान, प्रदर्श ए 8, 9 पर्चा नोटिस सहित का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रथम भू–प्रबंध के दौरान दिए गए साबिक आराजी नम्बर के हाल आराजीयात वही है, जो वाद पत्र में अंकित है। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि वादग्रस्त भूमि उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास के नाम दर्ज थी। जो विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रथम सेटलमेंट से प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम तथा उनके निधन के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार प्रकरण वर्णित दस्तावेज के आधार पर लगभग 83 वर्ष से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। यदि वादग्रस्त भूमि वादीगण की होती हो वादीगण अवश्य ही प्रथम भू–प्रबंध के समय अपने नाम दर्ज करवाते। यदि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की नही होती तो दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की जाती । वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही होता तो भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान विशेष विवरण में अवश्य ही लिखा होता। अर्थात वादग्रस्त भूमि प्रथम भू–प्रबंध से प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम एवं उनके निधन के पश्चात उनके वारिस प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है। **अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8, 9 के पक्ष में साबित की जाती है।**

8. क्या टिनेन्सी एक्ट बनने के पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार है एवं इसका वाद पर क्या असर हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। न्यायालय का इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 में लागु हुआ है। जबकि प्रदर्श ए 4 मेवाड़ सेटलमेंट की जमाबंदी संवत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

2001 अर्थात सन् 1944 से ही वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसका उल्लेख तनकी संख्या 7 के विवेचन में किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज थी। **उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8, 9 के पक्ष में साबित की जाती है।**

9. **क्या सन् 1990 में उदयपुर–चित्तौड रोड नया बनने के समय पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भूमियों का अधिग्रहण किया गया जिसका मुआवजा प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ।**

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर रहा। इस संबंध में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 18ए से 20ए भूमि अवाप्ति अधिकारी मावली द्वारा दिए गए अवार्ड राशि लेने हेतु नोटिस है। जो प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम से ही जारी किए गए है अर्थात इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का सन् 1990 में उदयपुर चित्तौड़ रोड की अवाप्ति के समय अवाप्ति अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से की गई अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि प्रतिवादीगण को ही दी गई थी। वादीगण का कथन है कि उक्त मुआवजा राशि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दे दी गई। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादग्रस्त भूमि की मुआवजा राशि प्रतिवादीगण को दी हो। इस कारण से वादीगण का यह कथन माने जाने योग्य नही है। प्रदर्श 18ए से 20ए से स्पष्ट जाहीर होता है कि वादग्रस्त भूमि से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्रतिवादीगण को ही दिया गया था। **उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8, 9 के पक्ष में साबित की जाती है।**

47. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादीगण तनकी संख्या 1, 2, 4 अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे तथा तनकी संख्या 5 वादीगण अपने पक्ष में आंशिक ही साबित करा सके। प्रतिवादीगण तनकी संख्या 7, 8, 9 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे। उक्त सभी तनकीयात के विश्लेषण के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए4 मेवाड़ सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट की जमाबंदी ग्राम मादड़ी सोलियान जागीर संवत 2001 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 427, 429, 432, 433 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि उंकारदास वल्द जालमदास वैरागी सा.देह के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 164, 426, 431, 435, 438 किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास वैरागी सा.देह के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार आराजी नम्बर 428, 430, 434 517/1 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि नाथूदास वल्द जालमदास वैरागी के नाम दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट के दस्तावेज प्रदर्श ए 5 भू–प्रबंध विभाग का पर्चा लगान, प्रदर्श ए 6 पर्चा खतौनी, प्रदर्श ए 7 पर्चा लगान, प्रदर्श ए 8, 9 पर्चा नोटिस सहित का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रथम भू–प्रबंध के दौरान दिए गए साबिक आराजी नम्बर हाल आराजीयात वही जो वाद पत्र में अंकित है। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि वादग्रस्त भूमि उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास के नाम दर्ज थी। जिसकी विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रथम सेटलमेंट से प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम तथा उनके निधन के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। ऐसे में प्रकरण में वर्णित दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि लगभग 83 वर्ष से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम राजस्थान कश्तकारी अधिनियम लागु होने के पहले से ही दर्ज चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से कुछ वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय किया। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 सद्भावी क्रेता है। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी तब तक वादीगण द्वारा कोई एतराज नही किया गया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 से 10 द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात वाद प्रस्तुत किया गया। जिससे जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

केवल मात्र क्रेता को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रथम भू–प्रबंध संवत 2001 से लगभग 55 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत किया जो कि न्यायोचित नही है।

वादीगण के वाद का केवल मात्र आधार प्रदर्श 2ए जिसके संबंध में वाद पत्र में पटटा बताया जाकर ग्राम वासियो द्वारा भूमि ठाकुरजी को भेंट करना बताया। जिसका अवलोकन करने से उक्त दस्तावेज अंपजीकृत है। जिसमें ना तो कोई पट्टा नम्बर अंकित है ना ही कोई सील मुद्रित है। रिसासतकाल के समय पट्टा जारी करने के लिए उक्त पट्टे को पट्टे बही में अंकित किया जाना आवश्यक था। साथ ही उक्त दस्तावेज को दौराने बहस ग्रामवासियो द्वारा भेंट स्वरूप भूमि दिया जाना बताकर भेंट पत्र बताया गया। परन्तु ग्रामवासियान द्वारा अपने वादपत्र/बहस/दस्तावेज से यह कही भी स्पष्ट नही किया गया कि उक्त भूमि ग्रामवासीयो के नाम दर्ज थी या नही? तथा उनको दान करने का अधिकार था या नही? क्योंकि नियमो में वर्णित प्रावधानो के तहत किसी भूमि का दान उस भूमि के खातेदार को ही करने का अधिकार है। इस कारण से उक्त दस्तावेज से पूर्व वादीगण को यह साबित करवाना आवश्यक था कि उक्त भूमि जिनके द्वारा दान की गई उनके नाम दर्ज थी या नही? परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। अर्थात वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे जाहीर होता हो कि उक्त भूमि कभी ग्रामवासियो के नाम दर्ज रही हो। जब वादग्रस्त भूमि कभी ग्रामवासियो के नाम ही नही रही तो उन्हे भेंट करने का अधिकार कैसे हो सकता है। प्रदर्श 2 ए दस्तावेज पढने एवं समझने से यह कही प्रतीत नही होता है कि यह दस्तावेज किसी राजकीय या तत्कालीन जागीरदार/महाराणा द्वारा लिखा गया हो। साथ ही उक्त दस्तावेज मे आराजीयात का भी वर्णन नही किया गया है। ऐसे में ग्रामवासियो द्वारा लिखापढी या गांव वालो ने मिलकर किसी भूमि को मन्दिर को भेंट करना इस मौखिक एवं अप्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर कोई अभिलेखित खातेदार जो प्रथम भू–प्रबंध से खातेदार है के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है। न्यायालय का यह भी मानना है कि यदि कोई अपंजीकृत दस्तावेज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श कर दिया जाता है तो उसका यह आशय नही है कि उक्त दस्तावेज वैधानिक दस्तावेज हो गया। उसका आशय केवल मात्र उस दस्तावेज को पढने तक है। उस दस्तावेज के संबंध में संबधित पक्षकार को गवाहो एवं साक्ष्यो द्वारा यह साबित कराना आवश्यक है कि उक्त दस्तावेज वैधानिक दस्तावेज है। वादीगण उक्त दस्तावेज को वैधानिक दस्तावेज साबित कराने में असफल रहे।

वादीगण द्वारा उक्त भूमि में शिलालेख 600 वर्ष पुराना लगा होना बताया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी भी भूमि पर शिलालेख लगा देने से शिलालेख के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते है। साथ ही वादीगण द्वारा पेश किए गवाह द्वारा केवल मात्र शिलालेख पर क्या लिखा गया है इस संबंध में बताया गया हैं अर्थात गवाहो से यह साबित नही होता है कि उक्त शिलालेख कब लगाया गया। साथ ही न्यायालय का इस संबंध में यह भी मानना है कि शिलालेख के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नही है।

दौराने बहस वादीगण का यह भी कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि का संबंध जालमदास से रहा है। नाथूदास ने जालमदास का पुत्र बनकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। वादीगण का यह कथन माने जाने योग्य नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नही है जिससे यह जाहीर होता हो की वादग्रस्त भूमि कभी भी जालमदास के नाम रही हो। जमाबंदी में प्रथम सेटलमेंट के दस्तावेज संलग्न है जिनमें वादग्रस्त भूमि उंकारदास, नाथूदास पिता जालमदास के नाम से ही दर्ज चली आ रही है। अर्थात वादीगण द्वारा केवल मात्र मौखिक कथन किया गया है कि उक्त भूमि जालमदास के नाम पर थी जिसका पुत्र नाथूदास बनकर अपने नाम दर्ज करवा ली। इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह जाहीर होता हो की वादग्रस्त भूमि कभी जालमदास के नाम रही हो।

वादीगण का कथन है कि नाथूदास गोटीपा का रहने वाला था तथा इसके पिता का नाम भगवानदास था। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

कि किसी भी खातेदार की खातेदारी की भूमि एक ही गांव में हो यह जरूरी नही है। उसकी अन्य ग्राम में भी खातेदारी भूमि हो सकती है। प्रदर्श ए1 ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि लालदास, बालूदास, भंवरदास, शंकरदास पिता नाथूदास तथा नाथूदास के पिता जालमदास थे। ये लोग पहले मादड़ी के रहने वाले थे। अभी राणाकुई ग्राम में रह रहे है। इनके पिता नाथूदास पिता जालमदास का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रदर्श 27ए ग्राम राणाकुई की नकल जमाबंदी संवत 2036–39 के खाता संख्या 173 का अवलोकन किया, उसमें भी खातेदार का नाम नाथूदास पिता जालमदास अंकित है। ऐसे में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नाथूदास के पिता का नाम जालमदास ही था। क्योंकि दोनो गांव मादड़ी एवं राणाकुई की जमाबंदियों में तथा ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में नाथूदास के पिता का नाम जालमदास ही अंकित है। वादीगण द्वारा यह भी निवेदन किया की ग्राम राणाकुई के हाल जमाबंदी के खाता संख्या 119 एवं 120 में नाथूदास के पिता का भगवान दास अंकित है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करते समय उक्त खाता संख्या 119, 120 में सेहवन से भगवानदास अंकित हो गया होगा। क्योंकि स्वयं नाथूदास के वारिस अपने दादा का नाम जालमदास बता रहे है तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी नाथूदास के पिता का नाम जालमदास होना सिद्ध होता है। फिर भी यदि नाथूदास पिता भगवानदास के नाम दर्ज भूमि यदि किसी अन्य व्यक्ति की है तो इसके लिए वादीगण सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु उक्त जमाबंदी के आधार पर नाथूदास के पिता नाम भगवानदास होना नही माना जा सकता है।

वादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि मंदिर की भूमि है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि ही मंदिर के नाम दर्ज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 से 7 सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि के किसी एक या दो सहखातेदार के स्वीकार कर लेने से उक्त सम्पूर्ण भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की नही मानी जा सकती है। न्यायालय द्वारा केवल मात्र किसी एक सहखातेदार के स्वीकार कर लेने से ही खातेदारी दी जाती है तो ऐसे में किसी भी खाते में एक सहखातेदार को लोभ लालच देकर कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण भूमि का वाद प्रस्तुत कर देगा। जो कि न्यायोचित नही है। अर्थात ऐसे में स्पष्ट है वादीगण को खातेदारी अधिकारो की घोषणा केवल मात्र सहखातेदार के स्वीकार कर लेने से नही दी जा सकती है। इसके लिए वादीगण को साक्ष्य के तहत सिद्ध कराना होगा। जो कि वादीगण सिद्ध कराने में असफल रहे।

प्रतिवादी संख्या 6, 7 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। केवल मात्र इस आधार पर सम्पर्ण भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही की जा सकती है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 6, 7 के नाम दर्ज भूमि स्वयं वादीगण को देना चाहते है तो ऐसे में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 6, 7 के नाम दर्ज भूमि की वादीगण के नाम घोषणा किया जाना न्यायोचित पाया जाता है परन्तु वादग्रस्त आराजी नम्बर 822 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 823 रकबा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग मोटर सड़क तालुक के नाम दर्ज होने तथा आराजी नम्बर 817 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 825 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 829 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 882 रकबा 11 बिस्वा भूमि अन्य खातेदारो के नाम दर्ज होकर उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 6, 7 का कोई हक हिस्सा निहित नही है इसलिए उक्त आराजीयात में घोषणा दिया जाना न्यायोचित नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 यह साबित कराने में असफल रहे की वादग्रस्त भूमि वादीगण की थी। इसलिए यदि केवल मात्र न्यायालय द्वारा घोषणा दी जाकर प्रतिवादी संख्या 6, 7 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो राजस्व हानी होगी। क्योंकि 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तनकीयात के विश्लेषण एवं निष्कर्ष से यह साबित हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मौरूस वादग्रस्त भूमि के सन् 1944 से खातेदार काश्तकार थे, उनके निधन के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके थे, अर्थात प्रतिवादी संख्या 8 से 10 द्वारा खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की गई है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके थे। इसलिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार क्रेता प्रतिवादी संख्या 8 से 10 राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को भूमि से किसी प्रकार से बेदखल नही करें। साथ ही न्यायालय का यह मानना है कि उभय पक्षकारान को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी न्यायोचित है कि उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। मौके पर अपने–अपने कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करें। मौके पर एक–दूसरे को बेदखल करने का प्रयास नही करें। शांतिव्यवस्था बनाए रखें।

उपर्युक्त विवेचन एवं तनकीवार विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वादी प्रतिवादी संख्या 6, 7 के स्वीकारात्मक जवाब के आधार पर आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 6, 7 के स्वीकारात्मक जवाब के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मादड़ी आसोलियान पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 414 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 461 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा , आराजी नम्बर 462 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 830 रकबा 4 बीघा 15

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, आराजी नम्बर 831 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 821 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 824 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 828 रकबा 2 बीघा भूमि में से **प्रतिवादी 6 से 7/3 का नाम हटाया जाकर इनकी बजाय वादी मूर्ती श्री ठाकुर जी चारभुजा जी गांव आसोलिया की मादड़ी (देवस्थान विभाग उदयपुर)** को खातेदार घोषित किया जाता है। लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री का पंजीयन दान पत्र के अनुसार करने के पश्चात ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

इसी प्रकार यह भी आदेश दिए जाते है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 से 10 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को भूमि से किसी प्रकार से बेदखल नही करें, साथ ही उभय पक्षो के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। मौके पर अपने–अपने कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करें। मौके पर एक–दूसरे को बेदखल करने का प्रयास नही करें। शांतिव्यवस्था बनाए रखें।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मूर्ति ठाकुर जी चारभुजा जी गांव आसोलिया की मादडी जरिये समस्त ग्रामवासियान आसोलिया की मादडी प्रतिनिधि :–

1/1 श्री सुरजसिंह पिता कालु सिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/2 श्री पनसिंह पिता ऐमानसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/3 श्री नाहरसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/4 श्री रूपसिंह पिता इन्दरसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/5 श्री करणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/6 श्री मनोहरसिंह पिता जालमसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/7 श्री मनोहरसिंह पिता भीमसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/8 श्री किशनसिंह पिता उम्मेदसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

1/9 श्री नाथूसिंह पिता हडमतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्री लालदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
2. श्री बालुदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
3. श्री भंवरदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
4. श्री शंकरदास पिता नाथूदास वैरागी निवासी राणाकुई तहसील वल्लभनगर।
5. मुसमात हगामी (मृतक के बजाय) :–

5/1 श्रीमती गंगाबाई पुत्री नाथूदास पत्नी भंवरदास वैरागी निवासी बोयणा तहसील मावली।

5/2 श्रीमती कमलाबाई पुत्री नाथूदास पत्नी सुखदास वैरागी निवासी बीडघास तहसील मावली।

6. श्री भेरूदास (मृतक के बजाय) :–

6/1 श्री सीताराम पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

6/2 श्री लच्छीराम पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

6/3 श्री मदनदास पिता भेरूदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7. श्री सेवादास (मृतक के बजाय) :–
7/1 श्रीमती सायरबाई पत्नी सेवादास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7/2 श्री सोहनदास (मृतक के बजाय) :–
7/2/1 श्रीमती राधाबाई पत्नी सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7/2/2 श्रीमती मीनाबाई पुत्री सोहनदास पत्नी प्रेमदास वैरागी निवासी वाजमिया तहसील वल्लभनगर।
7/2/3 श्रीमती ज्योति पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7/2/4 सुश्री गायत्री पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7/2/5 सुश्री सपना पुत्री सोहनदास वैरागी निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
7/3 श्रीमती गीता पुत्री सेवादास पत्नी श्यामदास वैरागी निवासी भावा तहसील राजनगर जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती भागुबाई पत्नी दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
9. श्री नारायणसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
10. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तहसील मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 146/13 (वाद)
GCMS No. – 2013/00149

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 6, 7 के स्वीकारात्मक जवाब के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मादड़ी आसोलियान पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 414 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 461 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा , आराजी नम्बर 462 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 830 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 831

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 821 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 824 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 828 रकबा 2 बीघा भूमि में से **प्रतिवादी 6 से 7/3 का नाम हटाया जाकर इनकी बजाय वादी मूर्ती श्री ठाकुर जी चारभुजा जी गांव आसोलिया की मादड़ी (देवस्थान विभाग उदयपुर)** को खातेदार घोषित किया जाता है। लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री का पंजीयन दान पत्र के अनुसार करने के पश्चात ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

इसी प्रकार यह भी आदेश दिए जाते है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 से 10 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को भूमि से किसी प्रकार से बेदखल नही करें, साथ ही उभय पक्षो के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। मौके पर अपने–अपने कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करें। मौके पर एक–दूसरे को बेदखल करने का प्रयास नही करें। शांतिव्यवस्था बनाए रखें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.08 12:07:29 IST
Reason: SelfAttested